

अध्याय – 1

## प्रस्तावना

## **1.1 पृष्ठभूमि (सूचना का अधिकार अधिनियम—2005)**

त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े नागरिकों को उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारी उन्हें सरलतम व सुगमता से उपलब्ध हो सके, इसके लिए तैयार की गई यह हस्तपुस्तिका उपयोगी होगी। सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत लोकहित में संगत सूचना प्राप्त करने में किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुस्तिका में त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत शासकीय सभी विषयों की जानकारी संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई है। पंचायती राज के तीनों स्तरों जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पृथक व्यवस्था की गई है।

हस्तपुस्तिका के माध्यम से लोकहित से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है।

## **1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य**

प्रशासन में खुलापन पारदर्शिता ओर जवाबदेही का संर्वतन करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित से संगत सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वत्रंता का उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए ‘सूचना का अधिकार अधिनियम—2005’ लागू किया जा रहा है, उक्त अधिनियम की अधिक से अधिक नागरिकों को जानकारी दे एवं हर नागरिक अधिनियम के तहत सरलता से लोकहित में जानकारी प्राप्त कर सकें।

## **1.3 यह हस्तपुस्तिका निम्न व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है।**

हस्तपुस्तिका ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों एवं पंचायती राज से जुड़े पदाधिकारियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़ी संस्थाएं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा इनसे से जुड़े संगठन के लिए उपयोगी होंगी।

## **1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हेतु निर्धारित प्रारूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित समस्त जानकारियों प्रदर्शित है।

## **1.5 परिभाषाएं (हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गयी शब्दावली)**

1. लोक प्राधिकरण :— लोक प्राधिकरण से आशय जिला पंचायत, भोपाल है।
2. त्रिस्तरीय पंचायतीराज :— से आशय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर चुनी हुई संस्था त्रिस्तरीय पंचायतीराज है।
3. लोक सूचना अधिकारी :— से आशय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल द्वारा नामांकित अधिकारी है।
4. सहायक लोक सूचना अधिकारी :— से आशय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी है।

**1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए संपर्क व्यक्ति**

जिला पंचायत स्तर पर

जिला पंचायत का लोक सूचना अधिकारी या संबंधित जानकारी देने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी।

जनपद स्तर पर

जनपद पंचायत का लोक सूचना अधिकारी या संबंधित जानकारी देने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी।

ग्राम पंचायत स्तर पर

संबंधित ग्राम पंचायत सचिव

**1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क**

सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा आवेदन में मांगी जाने वाली जानकारी का पूर्ण विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का निर्धारण शासन द्वारा किया गया है, आवेदन सादे कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

अध्याय – 2 (मैन्युअल – 1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

## 2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुख योजनायें जो उसे सौंपी गई हैं का क्रियान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना ।

## 2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन की जनकल्याणी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संचालित योजनायें जो उसे सौंपी गई हैं का पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना ओर शासन के उद्देश्यों को पूरा करना ।

## 2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण ओर पंचायत राज को मूर्त रूप देने एवं स्वावलम्बी बनाने की अभिव्यक्ति की थी, स्वायत शासी संस्थाओं को पहली बार संवैधानिकता की हैसियत संविधान में संशोधन होकर प्रदान की गई तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने समूचे भारत में इस दिशा में सक्रिय पहल करने का प्रथमतः गौरव प्राप्त किया । मध्यप्रदेश राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि पंचायती राज दायित्व बोध से सम्पन्न होकर ग्राम स्वराज स्थापित करें । ग्रामों का विकास हो ग्राम आर्थिक दृष्टि से विकसित एवं समृद्ध हो राजनीति दृष्टि से राष्ट्र की मेरुदण्ड ग्राम इकाई लोकतांत्रिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गणराज्य में भागीदारी के लिए होनहार भावी पीढ़ी का रचनात्मक सृजन करे ।

इसी आशय से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम (संशोधन-2001) म0प्र0 अनिधिनियम में अध्याय 4 में धारा 42,42 (क) तथा 43 मे प्रावधान किये गये ओर राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग को ग्रामों में, जनपद एवं जिलों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के गठन हेतु निर्वाचन कराने हेतु कानून द्वारा सशक्त किया गया । पंचायत राज को ग्राम स्तर पर ग्राम स्वराज में स्थापित करने का मध्यप्रदेश राज्य सरकार का यह प्रशंसनीय प्रयास है । ग्राम न्यायालय भी अनुसूचित क्षेत्र छोड़कर 26 जनवरी 2001 से म0प्र0 में प्रवृत्त किया गया है । मध्यप्रदेश राज्य की सीमायें अब पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन समझी जायेंगी ।

## 2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

पंचायत राज अधिनियम की धारा – 52 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए तथा इसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों साधारण या विशेष आदेशों जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाये के अध्याधीन रहते हुए जिला पंचायत (लोक प्राधिकरण) के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

- (1) शासन से प्राप्त अनुदान व निधियों का संधारण ।
- (2) शासन की विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनायें जो उसे सौंपी गई हैं का क्रियान्वयन ।
- (3) शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना ।

- (4) शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को पहुँचाने के लिए हितग्राही का चयन।
- (5) ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों का सतत मूल्यांकन, निरीक्षण पर्यवेक्षण करना।
- (6) जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, मानिटरिंग एवं उनका मार्गदर्शन करना।
- (7) पंचायतों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों का जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किया गया कर्मचारी वृंद आता है, उसका प्रशासन करना उनका नियंत्रण करना।

## **2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कर्तव्य**

भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रति जवाब देह होगा।

## **2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण**

लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की सीधे सेवा प्रदत्त नहीं की जाती है प्राधिकरण द्वारा केवल भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएं जो उसे सौंपी गई हों का संचालन/पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाता है।

## **2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहाँ लागू हों)**

राज्य शासन	—	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
निदेशालय	—	विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 शासन
संभाग	—	आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल
जिला	—	जिला पंचायत भोपाल
ब्लॉक	—	जनपद पंचायत फंदा/बैरसिया

## **2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं**

लोक प्राधिकरण में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं अतः जनसमुदाय से अपेक्षा है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन कर भेजे।

## **2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था**

त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना।

## 2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

विभिन्न स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर एवं कार्यालय में स्थापित शिकायत शाखा के माध्यम से शिकायतों के त्वरित व उचित निराकरण की व्यवस्था की गई है।

## 2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतो का जनपदवार वर्गीकरण करे।)

मुख्य कार्यालय –

जिला पंचायत भोपाल  
फिरोजा कॉटेज – 5, पुराना सचिवालय  
भोपाल म0प्र0  
फोन न0 0755–2540964  
E-mail [ceozpbho.mp@mail.nic.in](mailto:ceozpbho.mp@mail.nic.in)

ब्लॉक स्तर पर –

1. जनपद पंचायत फन्दा  
तह—हुजूर पुराना सचिवालय भोपाल  
फोन न0 0755–2545213  
E-mail [Phandabho@nic.in](mailto:Phandabho@nic.in)

2. जनपद पंचायत बैरसिया  
तह0 बैरसिया  
जिला भोपाल  
फोन न0 0755–282230  
E-mail [Jbberbhomp@mp.nic.in](mailto:Jbberbhomp@mp.nic.in)

संभाग स्तर पर –

आयुक्त कार्यालय भोपाल संभाग भोपाल  
पुराना सचिवालय भोपाल  
फोन न0 0755–2540399

राज्य शासन स्तर पर

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,  
वल्लभ भवन म0 प्र0 भोपाल  
फोन न0 0755–2551114  
2. विकास आयुक्त कार्यालय,  
विद्याचल भवन भोपाल  
फोन न0 0755–2550097

## 2.12 कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बंद होने का समय :

10:00 सुबह  
5:00 शाम

## अध्याय – 3 (मैन्युअल – 2)

अधिकारियों ओर कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य,

3.1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएँ

पद का नाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	<ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायतराज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत में सम्माहित समस्त विभागों पर प्रशासकीय नियंत्रण।</li> <li>जिला पंचायत कार्यालय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी</li> </ol>
	वित्तीय	<ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत की समस्त निधियों का आहरण एवं संवितरण हेतु पूर्ण अधिकार</li> </ol>
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा सौंपी गयी शक्तियों</li> </ol>
कर्तव्य	पंचायती राज अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों में प्राविधित कर्तव्य में उल्लेखित अनुसार	

अध्याय – 4 (मैन्युअल – 3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश  
निर्देशिका ओर अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एंव कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची –

<b>अभिलेख का नाम :-</b> 1. पंचायती राज अधिनियम 2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4. म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधि02010 नियम 5. म0प्र0 शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित नियम सभी अधिनियम / नियम / परिपत्र	<b>अभिलेख का प्रकार :-</b> नियम नियम नियम नियम स्थानीय प्रशासन ओर विकास संबंधी कार्यों को करने में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी प्रभाव पूर्ण रखे जाने के उद्देश्य से यह अधिनियम / नियम / निर्देश बनाया गया है।
<b>अभिलेख का संक्षिप्त परिचय</b>	नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सचिवालय, भोपाल
	पता:- जिला पंचायत, भोपाल फिरोजा कॉटेज – 5 पुराना सचिवालय दूरभाष :- 0755–2540964
	फेक्स :- 0755–2738041 ई0 मेल0 – ceozpbho@mp.nic.in
	अन्य — नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) – शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार।

## अध्याय – 5 (मैन्युअल – 4)

नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जन  
प्रतिनिधी से परामर्श के लिए बनायी गई<sup>1</sup>  
व्यवस्था का विवरण

## नीति निर्धारित हेतु

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करे।

क्र.स.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हॉ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	समस्त कार्य	हॉ	त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करे।

क्र.स.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हॉ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	प्राधिकरण से संबंधित समस्त विषय	हॉ	जनता द्वारा चुने गये पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत जनप्रतिनिधि

## अध्याय – 6 (मैन्युअल – 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध  
दस्तावेजों का प्रवगों के अनुसार विवरण

**6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी साथ ही यह दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते हैं।**

लोक प्राधिकरण में जनसामान्य से संबंधित समस्त दस्तावेज व जानकारियाँ निम्नानुसार हैं तथा उक्त समस्त दस्तावेज जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

### 1. इंदिरा आवास योजना

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	नियंत्रणाधीन/धारक
1	2	3	4	5
1	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना प्रगति प्रतिवेदन	नियत शुल्क का भुगतान करने पर	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. सहायक परियोजना अधिकारी (योजना प्रभारी अधिकारी)
2	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना तथा उन्नयन प्रतिवेदन	—“—	—“—
3	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलावार ग्रामीण अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार तथा आवासों की जनकारी भेजने बावत्	—“—	—“—
4	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन	—“—	—“—
5	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का जिलास्तर 3 प्रतिशत मद	—“—	—“—
6	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायत का निराकरण 2004–05	—“—	—“—
7	सामान्य नस्ती	ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासहिनों का पटटों का वितरण	—“—	—“—
8	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन	—“—	—“—
9	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2005–06	—“—	—“—
10	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर बावत्।	—“—	—“—
11	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2006–07	—“—	—“—
12	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर बावत्।	—“—	—“—
13	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायत का निराकरण 2006–07	—“—	—“—
14	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2007–08	—“—	—“—
15	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर बावत्।	—“—	—“—
16	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायत का निराकरण 2007–08	—“—	—“—
17	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2007–08		
18	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर स्वीकृत बावत्।	—“—	—“—
19	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2008–09	—“—	—“—
20	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर बावत्।	—“—	—“—

21	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायत का निराकरण 2008–09	—“—	—“—
22	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2008–09	—“—	—“—
23	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर स्वीकृत बावत ।	—“—	—“—
24	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का आडिट	—“—	—“—
25	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद अतर्गत प्राप्त आवेदनों का पात्रता परीक्षण ।	—“—	—“—
26	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही ।	—“—	—“—
27	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2009–10	—“—	—“—
28	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर बावत ।	—“—	—“—
29	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायत का निराकरण 2009–10	—“—	—“—
30	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2009–10	—“—	—“—
31	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर स्वीकृत बावत ।	—“—	—“—
32	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का आडिट	—“—	—“—
33	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही	—“—	—“—
34	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद अतर्गत प्राप्त आवेदनों का पात्रता परीक्षण ।	—“—	—“—
35	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2010–11	—“—	—“—
36	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद कुटीर बावत ।	—“—	—“—
37	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायत का निराकरण 2010–11	—“—	—“—
38	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2010–11	—“—	—“—
39	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का आडिट	—“—	—“—
40	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही	—“—	—“—
41	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिशत मद अतर्गत प्राप्त आवेदनों का पात्रता परीक्षण ।	—“—	—“—

## 2. राजीव गौधी जलग्रहण मिशन

क्रं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	सामान्य नस्ती	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम –प्रथम बैच क्रियान्वयन	सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित शुल्क के अनुसार	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. जिला परियोजना समन्वयक, जलग्रहण मिशन, जिला पंचायत भोपाल
2	सामान्य नस्ती	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम –प्रथम बैच राशि संबंधी		
3	सामान्य नस्ती	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम –द्वितीय बैच क्रियान्वयन		
4	सामान्य नस्ती	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम –द्वितीय बैच राशि संबंधी		
5	सामान्य नस्ती	एन.आर.ई.जी.एस अन्तर्गत वाटरशेड क्रियान्वयन		
6	सामान्य नस्ती	एन.आर.ई.जी.एस अन्तर्गत वाटरशेड राशि		
7	सामान्य नस्ती	आई.डब्ल्यू.एम.पी (न्यू प्रोजेक्ट)		
8	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में		
9	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन दल की नियुक्ति		
10	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र की मासिक जानकारी संबंधी		
11	सामान्य नस्ती	जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति संबंधी		
12	सामान्य नस्ती	प्रचार–प्रसार व सामुदायिक संगठन संबंधी		
13	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र में समितियों का पंजीयन		
14	सामान्य नस्ती	यूसर ग्रूप / एस.एच.जी. ग्रूप लिस्ट		
15	सामान्य नस्ती	जलग्रहण से संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाईल		
16	सामान्य नस्ती	स्व.सहायता समूहों का सशक्तिकरण		
17	सामान्य नस्ती	जैट्रोफा		
18	सामान्य नस्ती	जलाभिषेक अभियान		
19	सामान्य नस्ती	कुँआ रिचार्ज		
20	सामान्य नस्ती	बड़ा तालाब		
21	सामान्य नस्ती	जिला स्तरीय हरियाली महोत्सव		
22	सामान्य नस्ती	जैव विविधता		
23	सामान्य नस्ती	मास्टर प्लॉन / स्टाप डेम		

### 3 .मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्कित में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	सामान्य नस्ती	उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका (मध्यान्ह भोजना)	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2 शाखा प्रभारी 3 लिपिक
2	सामान्य नस्ती	बरखेड़ा पठानी में मध्यान्ह भोजन भ्रष्टाचार	—“—	—“—
3	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन की पंचायतवार जानकारी	—“—	—“—
4	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 2004–05 में खाद्यान्न आवंटन	—“—	—“—
5	सामान्य नस्ती	बैरसिया विकासखण्ड की 21 शालाओं में भोजन वितरण न होने बावत्।	—“—	—“—
6	सामान्य नस्ती	उठाव वितरण एम डी एम की जानकारी पत्रक 2004–05	—“—	—“—
7	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही बावत्	—“—	—“—
8	सामान्य नस्ती	खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों में न पहंचना	—“—	—“—
9	सामान्य नस्ती	एमडीएम खाद्यान्न वितरण के बिल 2004–05	—“—	—“—
10	सामान्य नस्ती	एमडीएम राशि बंटन बावत्	—“—	—“—
11	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन के दौरान आग लगने बावत्	—“—	—“—
12	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन विविध नस्ती	—“—	—“—
13	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन आवंटन एवं व्यय की गई राशि के संबंध में परिवहन भुगतान	—“—	—“—
14	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न उपलब्ध न कराने बावत्	—“—	—“—
15	सामान्य नस्ती	एमडीएम के परिवर्तित व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन बावत्	—“—	—“—

16	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन 07 प्रपत्रों की जानकारी	—“—	—“—
17	सामान्य नस्ती	एमडीएम अंतर्गत बैठक 99.2000	—“—	—“—
18	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन शिकायत विविध नस्ती	—“—	—“—
19	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन मा०खा०नि० में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का क्लेम	—“—	—“—
20	सामान्य नस्ती	ग्राम डोगरपुर के स्कूल में दलिया न बांटने देने एवं छुआछुत करने एवं वेतन न देने के संबंध में।	—“—	—“—
21	सामान्य नस्ती	एमडीएम की मासिक एवं पाक्षिक जानकारी	—“—	—“—
22	सामान्य नस्ती	एमडीएम बजट एवं प्रदाय राशि नस्ती	—“—	—“—
23	सामान्य नस्ती	जिला स्तरीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम गठित समिति का क्रियान्वयन	—“—	—“—
24	सामान्य नस्ती	पिपलिया धाकड संकूल केन्द्र में गणवेश वितरण न होन बावत	—“—	—“—
25	सामान्य नस्ती	एमडीएम अंतर्गत प्राप्त शिकायत	—“—	—“—
26	सामान्य नस्ती	उचित मूल्य कमी दुकानों में खाद्यान्न की सतत आपूर्ति के संबंध में	—“—	—“—
27	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन नस्ती	—“—	—“—
28	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन 2006–06	—“—	—“—
29	सामान्य नस्ती	माध्यमिक शालाओं में बर्तन 2008–09	—“—	—“—
30	सामान्य नस्ती	एमडीएम कार्यक्रम कार्यवाही 2008–09	—“—	—“—
31	सामान्य नस्ती	एमडीएम काल सेंटर 2007–08	—“—	—“—
32	सामान्य नस्ती	स्व सहायता समूह शालायें ग्राम वार	—“—	—“—
33	सामान्य नस्ती	सांझा चूल्हा कार्यक्रम 2009–2010	—“—	—“—

34	सामान्य नस्ती	ग्रामीण शालाओं हतु पकाने की लागत राशि 2007–10	—“—	—“—
35	सामान्य नस्ती	एमडीएम शिकायत जांच टीएम/क्यूएम द्वारा 2007–08	—“—	—“—
36	सामान्य नस्ती	किचन शेड 2009–10	—“—	—“—
37	सामान्य नस्ती	एमडीएम अंतर्गत सूचना का अधिकार 2009–10	—“—	—“—
38	सामान्य नस्ती	एमडीएम बर्तन/कोठी परोसने की बर्तन 2009–10	—“—	—“—
39	सामान्य नस्ती	एमडीएम अंतर्गत प्राप्त शिकायत 2010–11	—“—	—“—
40	सामान्य नस्ती	प्रशिक्षण एमडीएम 2009–10	—“—	—“—
41	सामान्य नस्ती	निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधी नस्ती 2009–10	—“—	—“—
42	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन अंतर्गत त्रैमासिक सूचीवार 2008	—“—	—“—
43	सामान्य नस्ती	न्यूट्रीशन सटलीगेट 2009–10	—“—	—“—
44	सामान्य नस्ती	एमडीएम संबंधित बैठक 2008–09	—“—	—“—
45	सामान्य नस्ती	यात्रा भत्ता वर्ष 2007–08	—“—	—“—
46	सामान्य नस्ती	लोकसभा/विधनसभा संबंधित नस्ती 2008–08	—“—	—“—
47	सामान्य नस्ती	क्वालिटी मॉनीटर शाला निरीक्षण प्रतिवेदन 2007–08 उपयोगिता प्रमाण पत्र 2008–09	—“—	—“—
48	सामान्य नस्ती	एमडीएम के मेनू बावत 2006–07 से निरस्त	—“—	—“—
49	सामान्य नस्ती	टीएम/ओ एम का दौरा कार्यक्रम	—“—	—“—
50	सामान्य नस्ती	भोजन पकाने की माध्यम से	—“—	—“—
51	सामान्य नस्ती	पकाने की लागत राशि माध्यमिक	—“—	—“—

52	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम समीक्षा बैठक 2008–11	—“—	—“—
53	सामान्य नस्ती	एमडीएम कायकर्म कार्यवाही 2010–11	—“—	—“—
54	सामान्य नस्ती	पायलेट पोजेक्ट 2010–11	—“—	—“—
55	सामान्य नस्ती	एमडीएम रसोइयां 2011–12	—“—	—“—
56	सामान्य नस्ती	एमडीएम अंतर्गत भारत सरकर मैनेजमेंट धन राशि का आवंटन 2010	—“—	—“—
57	सामान्य नस्ती	मदरसा कार्यवाही 2009	—“—	—“—
58	सामान्य नस्ती	एमडीएम खाद्यन्न आवंटन (पुनः आवंटन) 2009–10	—“—	—“—
59	सामान्य नस्ती	क्वालिटी मॉनीटर द्वारा कार्यवाही 2010–11	—“—	—“—
60	सामान्य नस्ती	किचन शोड 2010–11	—“—	—“—
61	सामान्य नस्ती	समाचार पत्र में प्रकाशित खबरें 2008–09	—“—	—“—
62	सामान्य नस्ती	एमडीएम पशिक्षण आदेश सामाजि एवं युवक कल्याण समिति	—“—	—“—
63	सामान्य नस्ती	एमडीएम बर्तन कोठी परोसने की राशि 2007–08	—“—	—“—
64	सामान्य नस्ती	किचन शोड निर्माण 2006–07, 07–08, 08–09	—“—	—“—
65	सामान्य नस्ती	एमडीएम ऑडिट रिपोर्ट 2006–2010–2011	—“—	—“—
66	सामान्य नस्ती	गार्ड फाईल 2004 से निरंतर	—“—	—“—
67	सामान्य नस्ती	एमडीएम कार्यक्रम अंतर्गत टीएम/ क्यूएम/ मूल्यांकन प्रतिवेदन 2009–10	—“—	—“—

## 4. शिक्षा शाखा

क्र	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1		03–04 शिक्षा कर्मी बट्टन का प्रावधान	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. शाखा प्रभारी 3. लिपिक
2	सामान्य नस्ती	शिक्षक के स्थानान्तरण वर्ष 03–04	—..—	—..—
3	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षक वेतन भुगतान 01–02	—..—	—..—
4	सामान्य नस्ती	शिक्षा कर्मी / संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति 03–04	—..—	—..—
5	सामान्य नस्ती	शिक्षा कर्मी को भर्ती में आरक्षण का पालन	—..—	—..—
6	सामान्य नस्ती	पातालपुर के संविदा शिक्षकों में शिकायत ।	—..—	—..—
7	सामान्य नस्ती	स्थानान्तरण आदेश	—..—	—..—
8	सामान्य नस्ती	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण	—..—	—..—
9	सामान्य नस्ती	मा.शा. गुराड़िया के निर्माण की नस्ती	—..—	—..—
10	सामान्य नस्ती	श्री ओ.पी. बाजपेयी शा.उ.मा.वि.स्कूल निशातपुरा	—..—	—..—
11	सामान्य नस्ती	प्रा.शा.स्कूल निशातपुर	—..—	—..—
12	सामान्य नस्ती	शा.उ.मा.पी.जी.बी.टी. द्वारा शिक्षा कर्मी के वेतन सबंधी नस्ती	—..—	—..—
13	सामान्य नस्ती	स्कलू शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मा.शा.के अमल के वेतन भुगतान सबंधी नस्ती ।	—..—	—..—
14	सामान्य नस्ती	जर्जर शाला भवन मरम्मत नस्ती	—..—	—..—
15	सामान्य नस्ती	अल्का राठौर की जाँच रसूलिया गौसाई	—..—	—..—
16	सामान्य नस्ती	माध्यमिक शाला बरखेड़ीदेव का निरीक्षण	—..—	—..—
17	सामान्य नस्ती	मदरसा रफी अहमद किंदवई	—..—	—..—
18	सामान्य नस्ती	आशीष दुबे, शिक्षाकर्मी ललरिया की बहाली	—..—	—..—
19	सामान्य नस्ती	डाईट के पदों की पूर्ति	—..—	—..—
20	सामान्य नस्ती	उर्दू शिक्षिकों की जानकारी बाबत	—..—	—..—
21	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की पद में अनियमितता	—..—	—..—
22	सामान्य नस्ती	शिक्षकों के विरुद्ध जारी एस0 ए0 एम0 बाबत	—..—	—..—
23	सामान्य नस्ती	दसवा वित्त (शिक्षा) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के पूर्णतः प्रगति-पत्र	—..—	—..—
24	सामान्य नस्ती	माध्यमिक शालाओं के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक के वर्ते न / मानदण्ड भुगतान	—..—	—..—
25	सामान्य नस्ती	विधान सभा प्रश्न नस्ती शिक्षा / मध्यान्ह भोजन	—..—	—..—
26	सामान्य नस्ती	अशासकीय शालाओं का निरीक्षण नस्ती	—..—	—..—
27	सामान्य नस्ती	बैरागढ़ दशहरा मैदान आतिशबाजी हेतु आवंटित करने बाबत	—..—	—..—
28	सामान्य नस्ती	शिकायत सबंधी नस्ती 2004–05	—..—	—..—
29	सामान्य नस्ती	उर्दू शिक्षक पदस्थ होने बाबत	—..—	—..—
30	सामान्य नस्ती	शिक्षाकर्मी विविध नस्ती	—..—	—..—
31	सामान्य नस्ती	वर्ष 2003–04 शालाओं के कार्य दिवस में प्रशिक्षण आयोजित ना करने बाबत्	—..—	—..—

32	सामान्य नस्ती	डी० पी० छतवानी, सहा० ग्रेड-३ को वापस करने बाबत	---..---	---..---
33	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत नजीराबाद के विरुद्ध शिकायत	---..---	---..---
34	सामान्य नस्ती	सीमा दीक्षित के पदांकन के संबंध में।	---..---	---..---
35	सामान्य नस्ती	जसलोक उ० मा० वि० की जॉच बाबत्	---..---	---..---
36	सामान्य नस्ती	साधना श्रीवास्तव सहा शिक्षक के स्थानांतरण बाबत्	---..---	---..---
37	सामान्य नस्ती	सविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति में अनियमितताएँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी फंदा	---..---	---..---
38	सामान्य नस्ती	जनपद बैरसिया में शिक्षाकर्मी की नियुक्ति में अनियमितताएँ	---..---	---..---
39	सामान्य नस्ती	शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का सर्वेट क्वाटर रिक्ती बाबत्	---..---	---..---
40	सामान्य नस्ती	अम्बिका पाण्डे शिक्षाकर्मी वर्ग-३ का विकलांग भत्ता स्वीकृति बाबत्	---..---	---..---
41	सामान्य नस्ती	फतहें सिंह राजपूत की नियुक्ति बाबत् (मुख्यमंत्री से प्राप्त आवेदन)	---..---	---..---
42	सामान्य नस्ती	सविदा शाला शिक्षकों की भर्ती नियम ०५	---..---	---..---
43	सामान्य नस्ती	विकासखण्ड विद्यालय स्थित विद्यालय में प्रवेश	---..---	---..---
44	सामान्य नस्ती	रेखा गोपाल त्रिपाठी की सेवापुस्तिका की नस्ती	---..---	---..---
45	सामान्य नस्ती	वासदेव गोपलानी के स्थानांतरण बाबत्	---..---	---..---
46	सामान्य नस्ती	ज० पी० शर्मा, सहा० शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जॉच	---..---	---..---
47	सामान्य नस्ती	अर्चना केलकट्टा के स्थानांतरण नस्ती	---..---	---..---
48	सामान्य नस्ती	शिक्षाकर्मियों के स्थानातं रण बाबत्	---..---	---..---
49	सामान्य नस्ती	शाला पत्रिका मे० संदेश । देने बाबत्	---..---	---..---
50	सामान्य नस्ती	स्थानांतरण हेतु आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने बाबत्।	---..---	---..---
51	सामान्य नस्ती	ग्राम स्तर पर शासन को मुद्रण करने बाबत्	---..---	---..---
52	सामान्य नस्ती	विविध नस्ती	---..---	---..---
53	सामान्य नस्ती	लक्ष्मी नारायण दुबे, सहा० शिक्षक की विभागीय जॉच	---..---	---..---
54	सामान्य नस्ती	स्थानांतरण संबंधी विविध नस्ती	---..---	---..---
55	सामान्य नस्ती	युवितयुक्त करण के अन्तर्गत स्थानांतरण के विरुद्ध याचिका	---..---	---..---
56	सामान्य नस्ती	शिक्षाकर्मियों का वेतन वर्ष २००४-०५	---..---	---..---
57	सामान्य नस्ती	कुमारी प्रेरणा डेहरिया की अंकसूची में संशोधन	---..---	---..---
58	सामान्य नस्ती	सुभाष स्कूल प्रागंण में स्टार नाईट के आयोजन बाबत्	---..---	---..---
59	सामान्य नस्ती	भोपाल जिले में संचालित हाई/हायरसेकेन्डरी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण संस्थित संबंधित नस्ती	---..---	---..---
60	सामान्य नस्ती	जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबढ की जॉच	---..---	---..---
61	सामान्य नस्ती	स्कूल प्रागंण आवटन नस्ती २००३-०४	---..---	---..---
62	सामान्य नस्ती	स्कूल प्रागंण आवटन नस्ती २००५-०६	---..---	---..---
63	सामान्य नस्ती	म० प्र० कीडा परिषद जिला पंचायत द्वारी प्रतियोगिता आयोजन बाबत्।	---..---	---..---
64	सामान्य नस्ती	अक्षय उर्जा/सौर उर्जा से संचालित लालटेन जिले की ग्राम पंचायतों को प्रदाय संबंधी नस्ती	---..---	---..---
65	सामान्य नस्ती	ग्राम बसाहटो में सुविधा उपलब्ध कराना	---..---	---..---
66	सामान्य नस्ती	सविदा शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति	---..---	

67	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की विविध नस्ती	---.---	---.---
68	सामान्य नस्ती	अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति	---.---	---.---
69	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग में अवकाश	---.---	---.---
70	सामान्य नस्ती	गुरुजी पात्रता परीक्षा वर्ष 2008	---.---	---.---
71	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षकों के त्याग पत्र से संबंधित नस्ती	---.---	---.---
72	सामान्य नस्ती	छात्रवृत्ति/बुकबैंड एवं निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	---.---	---.---
73	सामान्य नस्ती	विधानसभा नस्ती	---.---	---.---
74	सामान्य नस्ती	संपूर्ण शिक्षित ग्राम योजना	---.---	---.---
75	सामान्य नस्ती	निर्धन छात्रवृत्ति	---.---	---.---
76	सामान्य नस्ती	सूचना का अधिकार शिक्षा से संबंधित	---.---	---.---
77	सामान्य नस्ती	अध्यापक संवर्ग में हड्डताल संबंधी नस्ती	---.---	---.---
78	सामान्य नस्ती	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान गुरुजी का न्यायलयीन प्रकरण	---.---	---.---
79	सामान्य नस्ती	अनुदान प्राप्त शालाओं में फर्नीचर हेतु अनुदान	---.---	---.---
80	सामान्य नस्ती	जनसुनवाई नस्ती	---.---	---.---
81	सामान्य नस्ती	शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त बावत नस्ती	---.---	---.---
82	सामान्य नस्ती	प्रागंण आवंटन बावत कार्यवाही	---.---	---.---
83	सामान्य नस्ती	प्रागंण आवंटन निरस्त करने बावत कार्यवाही	---.---	---.---
84	सामान्य नस्ती	बालिकाओं को निशुल्क गणवेश वितरण	---.---	---.---
85	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत	---.---	---.---
86	सामान्य नस्ती	विविध नस्ती	---.---	---.---
87	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षकों की उपस्थिति	---.---	---.---
88	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2009–10	---.---	---.---
89	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षकों वर्ग 2 की भर्ती	---.---	---.---
90	सामान्य नस्ती	शिक्षा से संबंधित सर्कुलर फाईल	---.---	---.---
91	सामान्य नस्ती	महिला एवं विकलांग अध्यापक संवर्ग में अंतर जिला रक्खानांतरण/संविलियन नस्ती	---.---	---.---

## 5. शिकायत शाखा

क्र	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1		फाईल सूची नाम सहित	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल 2. शाखा प्रभारी 3. लिपिक
2	सामान्य नस्ती	सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हिंगोनी के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन।	—..—	—..—
3	सामान्य नस्ती	ग्राम सेमराकलां में पचं यत सचिव की नियुक्ति नियमानुसार नहीं करने व सरपंच की सांठ-गाठ से अपने भतीजे को नियम विरुद्ध नियुक्ति करने बावत्।	—..—	—..—
4	सामान्य नस्ती	श्री जी०पी० यादव सेवा निवृत्त लखे गापाल के सतत्व के भुगतान बावत्।	—..—	—..—
5	सामान्य नस्ती	सरपंच द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताएँ किये जाने बावत्, ग्राम गर्झेठया।	—..—	—..—
6	सामान्य नस्ती	ग्राम पचं यत गढ़ाकलां के भ्रष्ट सरपंच को पद से मुक्त कर कानूनी कार्यवाही एवं सभी दस्तावेज हस्तांतरण करने बावत्।	—..—	—..—
7	सामान्य नस्ती	इदिरा आवास योजनातंर्गत शौचालय की राशि देने बावत्।	—..—	—..—
8	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत पिपलिया कदीम की सरपंच अनार बाई व उसके पति श्री हरिसिंह विश्वकर्मा द्वारा विधवा पेंशन की पासबुक छीनकर भुगतान न करने बावत् (श्रीमती चिरांजीबाई / भैसं खेड़ा)।	—..—	—..—
9	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम रुनाहा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच(कोई कार्यवाही नहीं करना)	—..—	—..—
10	सामान्य नस्ती	सरपंच द्वारा घारे भ्रष्टाचार एवं शासकीय निधि का दुरुपयोग करने के संबंध में / जमसरू खुदा	—..—	—..—
11	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत सेमराकलां एवं श्री राम रत्न, ग्राम डोंगर गांव की जान माल की रक्षा बावत्	—..—	—..—
12	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत दिल्लौद की अनियमितताओं के संबंध में।	—..—	—..—
13	सामान्य नस्ती	ग्राम पचं यत, दामखेड़ा के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने बावत्। (श्री भैरों सिंह ठाकुर द्वारा)	—..—	—..—
14	सामान्य नस्ती	श्री अनवर मियां पटवारी सा० द्वारा जांच कर सरकारी दर्शने पर शुल्क नपती का जमा करने पर पंचायत द्वारा आवंटन 25X25 पट्टा देने बावत्।	—..—	—..—
15	सामान्य नस्ती	पंचायत पिपलिया कदीम की सरपंच अनारबाई व उसके पति हरिसिंह विश्वकर्मा द्वारा सांसद निधि से 1.00 लाख रुपये सड़क निर्माण हेतु गवन एवं भ्रष्टाचार की शिकायत बावत्।	—..—	—..—
16	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत कढ़यैचवर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच शिकायत पर सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीओआर द्वारा निष्पक्ष निर्णय नहीं दिये जाने बावत्।	—..—	—..—
17	सामान्य नस्ती	अनुजा विलेज कालोनी में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं मौलिक समस्याओं के निराकरण बावत्।	—..—	—..—
18	सामान्य नस्ती	सरपंच रामदयाल, ग्राम पंचायत कनेरा, तह0हुजूर भोपाल द्वारा गरीबों को राशन कार्ड पर गेहू शक्कर, तेल आदि न देने बावत्।	—..—	—..—
19	सामान्य नस्ती	काशीराम अध्यक्ष सांघियों स्व सहायता सम्हू ग्राम सेमरा, भेरोपुरा, तह0 बैरसिया द्वारा कलेक्टर महा० को शिकायत के संबंध में आवेदन पत्र।	—..—	25—..—

20	सामान्य नस्ती	आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने बावत्।(मानवाधिकार आयोग / कलेक्टर महो०)	---..--	---..--
21	सामान्य नस्ती	विभागीय कर्मचारी श्री लीलाधर के ऋण की अदायगी के संबंध में।	---..--	---..--
22	सामान्य नस्ती	माध्य०शाला खजूरी सड़क में भृत्य के पद पर 5 वर्ष कार्य करने के उपरांत हटाये जाने बावत्।	---..--	---..--
23	सामान्य नस्ती	बैंक से जब्त पानी की मशीन दिलाने बावत्।	---..--	---..--
24	सामान्य नस्ती	संयो सहकारी समिति, मर्या० कुठार द्वारा नलकूप के प्रकरण स्वीकृत करने बावत्।	---..--	---..--
25	सामान्य नस्ती	उच्चतर मा०शा० एवं कन्या प्राथ०शाला ललरिया के संबंध में	---..--	---..--
26	सामान्य नस्ती	राहगीरों एवं सहवासियों को उचित रास्ता उपलब्ध कराने बावत्।(मानवाधिकार आयोग)	---..--	---..--
27	सामान्य नस्ती	रास्ता अतिक्रमण हटाने बावत्। (ग्रा०प० रसूलिया)	---..--	---..--
28	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत अगरिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच।	---..--	---..--
29	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत तमू डा की सरपंच व को निर्माण कार्य में घटियानिर्माण करने एवं भ्रष्टाचार एवं तत्काल सरपंच को पद से पद्धति करने बावत्।	---..--	---..--
30	सामान्य नस्ती	सरपंच पति राजमल द्वारा खाद्यान्न तथा निर्माण कार्य में घपला, ग्राम बंगरोदा।	---..--	---..--
31	सामान्य नस्ती	उप सरपंच ग्राम पंचायत सूखी सेवनियां के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बावत्।	---..--	---..--
32	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत कनरो के सरपंच रामदयाल द्वारा राशि कादुरुपयोगे एवं भ्रष्टाचार बावत्।	---..--	---..--
33	सामान्य नस्ती	मरे पति की मृत्यु उपरांत मेरे कब्जे की भूमि मुझे दिलाने बावत्।	---..--	---..--
34	सामान्य नस्ती	स्कूल निर्माण की जांच बावत्, ग्राम मंथन कुण्ड।	---..--	---..--
35	सामान्य नस्ती	जन शिक्षा केन्द्र मोगरा नवीन के जन शिक्षक द्वारा भ्रष्टाचार एवं लापरवाही।	---..--	---..--
36	सामान्य नस्ती	कुंजीलाल मीणा एवं कमल सिंह मीणा पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत जैतपुरा के द्वारा राशि रूपये 3000/-बावत्(मूल नस्ती जे०डी०पी० कार्यालय में कलेक्टर महो० के निर्देश अनुसार वहां चल रही है, छायाप्रति नस्ती उपलब्ध है।)	---..--	---..--
37	सामान्य नस्ती	गरीबी रेखा के राशन कार्ड पर लोन निकालकर हडप जाने बावत्।	---..--	---..--
38	सामान्य नस्ती	अनुपातहीन बेनामी संपत्ति की जांच कराने बावत्।	---..--	---..--
39	सामान्य नस्ती	शिकायत की सुनवाई न होने बावत् (ग्राम कोडिया)	---..--	---..--
40	सामान्य नस्ती	ग्राम महोली में निर्माण कार्य जांच बावत्।	---..--	---..--
41	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत दिल्लोद में बने स्टाप डेम में भयंकर रिसाव की जांच होने बावत्।	---..--	---..--
42	सामान्य नस्ती	दोषी भ्रष्ट सरपंच को पद से हटाये जाने बावत् (ग्राम चंदरी)	---..--	---..--
43	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत अमरावत कला की सरपंच/सचिव श्रीमती बलु ईमार्का श्री निर्भय सिंह द्वारा ग्रामवासियों की झड़ी रिपोर्ट एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग व हेराफेरी करने बावत्।	---..--	---..--
44	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत इमलिया के सरपंच व उपसरपंच की मनमानी से परेशान।	---..--	---..--
45	सामान्य नस्ती	कलेक्टर भोपाल द्वारा दिनांक 16/1/03 को दिये गये आदेश की अवहेलना।	---..--	---..--
46	सामान्य नस्ती	(1) सरपंच महोदय द्वारा नाजात तरीके से ग्राम वासियों को धमकाना, पुलिया, तालाब व स्कूल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार (2) ग्राम सेमरी बाज्यापत के सरपंच द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग की जांच बावत्।	---..--	---..--
47	सामान्य नस्ती	सामान्य सरपंच के कार्य कलापों के संबंध में/ग्राम जाटखडे०।	---..--	---..--

48	सामान्य नस्ती	नई बस्ती गौतम नगर, बाग मुंगलिया की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।	---..---	---..---
49	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत चंदरोई के कोष गाध्यक्ष द्वारा 1,93,000/-रुपये शासकीय राशि के दुरुपयोग के संबंध में।	---..---	---..---
50	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत कालापीपल, ग्राम ध्रुवाखेड़ा विकासखण्ड फन्दा, जिला भोपाल।	---..---	---..---
51	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत अमरावत कलां की सरपंच व उसके पति द्वारा गभीर अनियमितताएं।	---..---	---..---
52	सामान्य नस्ती	श्री आई०एस०शर्मा, लेखापाल के पेंशन बावत्।	---..---	---..---
53	सामान्य नस्ती	श्री रमेश गुप्ता, सहार०शिक्षक को तत्काल निलंबित करने बावत, ग्राम ललरिया।	---..---	---..---
54	सामान्य नस्ती	सरपंच से मजदूरी का भुगतान करनवाने बावत, सरकारी तंत्र की मदद हेतु/रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया।	---..---	---..---
55	सामान्य नस्ती	ग्राम सचिवालय की व्यवस्था के संबंध में	---..---	---..---
56	सामान्य नस्ती	अभद्र आचरण बावत् (मानवाधिकार आयोग	---..---	---..---
57	सामान्य नस्ती	अकबरपुर के सरपंच द्वारा परेशन करने बावत्।	---..---	---..---
58	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत सुरैया नगर के पूर्व सरपंच श्री दयानंद शर्मा द्वारा कार्यों का समय पर मूल्यांक न नहीं करके जानबूझकर उलझाकर उनके साथ अन्याय करने के संबंध में न्याय दिलाने बावत्।	---..---	---..---
59	सामान्य नस्ती	श्री एन०पी० व्यास सहा०ग्रे०—२ द्वारा घोर भ्रष्टाचार करने बावत्।	---..---	---..---
60	सामान्य नस्ती	दहजे प्रताडना बावत्।	---..---	---..---
61	सामान्य नस्ती	रिमाइन्डर भेजने बावत्।	---..---	---..---
62	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत रुनाहा के शिकायत करने पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही न करने बावत्।	---..---	---..---
63	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत रुनाहा मे वर्णित भवन को तोड़ने बावत।	---..---	---..---
64	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत तमू ड़ा द्वारा सड़क निर्माण एवं शाला भवन की जांच करने के संबंध में ए०पी०ओ साकल्लये के पास।	---..---	---..---
65	सामान्य नस्ती	ग्राम पटेल का पूर्व चौकीदारी पटेल के भाई के द्वारा सरपंच के माध्यम से परेशान किये जाने बावत।	---..---	---..---
66	सामान्य नस्ती	मत्रियों/ विधायकों से प्राप्त शिकायत की नस्ती।	---..---	---..---
67	सामान्य नस्ती	पये जल संबंधी नस्ती।	---..---	---..---
68	सामान्य नस्ती	श्री सतीश चौरसिया की शिकायत।	---..---	---..---
69	सामान्य नस्ती	ग्रामवासी फंदा द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत आवेदन नस्ती।	---..---	---..---
70	सामान्य नस्ती	अर्जित अवकाश की त्रुटि पूर्ण करना व भुगतान बावत। श्रीजय नारायण मिश्रा, सेवा निवृत्त शिक्षक।	---..---	---..---
71	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत पारदी गांव में कुआं तक नहीं खुदा और एक करोड़ हजार।	---..---	---..---
72	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत मुंगलिया छाप की समस्याओं के संबंध में।	---..---	---..---
73	सामान्य नस्ती	सकुंल केन्द्र निशातपुरा के संबंध में।	---..---	---..---
74	सामान्य नस्ती	विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र (2007–08)	---..---	---..---
75	सामान्य नस्ती	श्रीमति रीता मिश्रा	---..---	---..---
76	सामान्य नस्ती	शिकायतों की जांच बावत्	---..---	---..---
77	सामान्य नस्ती	शिकायत निवारण (सा० शिकायत) 2006–07	---..---	---..---
78	सामान्य नस्ती	सासंद विधायक निधि	---..---	---..---
79	सामान्य नस्ती	ठेका पर मट्रेसियल स्पाट पर ढलवाकर	---..---	---..---
80	सामान्य नस्ती	शिकायत विरुद्ध श्री ओपी शर्मा (डीईओ)	---..---	---..---
81	सामान्य नस्ती	वित्त मांग के जल अभिषेक अभियान दिनांक 08 / 04 / 7	---..---	---..---
82	सामान्य नस्ती	जांच प्रतिवेदन शा०उ.मा. शाला ईटखेड़ी	---..---	---..---
83	सामान्य नस्ती	विकास आयुक्त कार्यालय शिकायत वर्ष 2006–07	---..---	---..---
84	सामान्य नस्ती	कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र 2007–08	---..---	---..---
85	सामान्य नस्ती	शिकायत 2008–09	---..---	---..---

86	सामान्य नस्ती	शिकायत विरेन्द्र श्री गोकुलसिंह सरपंच मर्दन सिंह	---..--	---..--
87	सामान्य नस्ती	जनशिकायत निवारण 1 / 9 / 6	---..--	---..--
88	सामान्य नस्ती	महिला बाल विकास से संबंधित जांच कमिशनर	---..--	---..--
89	सामान्य नस्ती	सामान्य शिकायत 2008	---..--	---..--
90	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत कम्होर मे सांसद निधि से कराये गये कार्य।	---..--	---..--
91	सामान्य नस्ती	जांच प्रकरण शा उ मा वि इटखेडी	---..--	---..--
92	सामान्य नस्ती	मान. अध्यक्ष जिला पंचायत से प्राप्त शिकायत	---..--	---..--
93	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत रसूलिया पठार की शिकायत	---..--	---..--
94	सामान्य नस्ती	आयुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायतें	---..--	---..--
95	सामान्य नस्ती	मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैरसिया द्वारा श्रीमती अंजना सिरोहिया के विरुद्ध शिकायत	---..--	---..--
96	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत गढ़कला की शिकायत	---..--	---..--
97	सामान्य नस्ती	सामान्य शिकायत (2009–10)	---..--	---..--
98	सामान्य नस्ती	ग्रामीण शिक्षा विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण	---..--	---..--
99	सामान्य नस्ती	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त शिकायत नस्ती (शिक्षाविभाग)	---..--	---..--
100	सामान्य नस्ती	शिकायत विरुद्ध विजय श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैरसिया	---..--	---..--
101	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत परसोरा में रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित शिकायत	---..--	---..--
102	सामान्य नस्ती	श्रीमती हेमलता जैन प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायत	---..--	---..--
103	सामान्य नस्ती	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा के विरुद्ध शिकायत	---..--	---..--
104	सामान्य नस्ती	पंचायत भवन हेतु ई—गर्वनेन्स	---..--	---..--
105	सामान्य नस्ती	देवलखेडी में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच	---..--	---..--
106	सामान्य नस्ती	जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त शिकायतें	---..--	---..--
107	सामान्य नस्ती	सामान्य शिकायत 2009–10	---..--	---..--
108	सामान्य नस्ती	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र से संबंधित शिकायती नस्ती	---..--	---..--
109	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन से प्राप्त शिकायतों की नस्ती	---..--	---..--

## 6. लेखाशाखा

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पत्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
			सूचना का अधिकार अधिकारी 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल एवं लेखाधिकारी, जिला पंचायत भोपाल।
1	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना।	1. केश बुक 2. व्हाउचर नस्ती 3. चेक रजिस्टर 4. बैंक पासबुक 5. चेक बुक 6. डी.आर.डी.ए.प्रशासन में वेतन आहरण पंजी	संधारित हैं।	संधारित हैं।

		7. आडिट रिपोर्ट 8. बिल रजिस्टर		
2	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	1. केश बुक 2. व्हाउचर नस्ती 3. चेक रजिस्टर 4. बैंक पासबुक 5. चेक बुक 6. आडिट रिपोर्ट	संधारित हैं।	संधारित हैं।
3	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार परिवहन	1. केश बुक 2. व्हाउचर नस्ती 3. चेक रजिस्टर 4. बैंक पासबुक 5. चेक बुक	संधारित हैं।	संधारित हैं।
4	इंदिरा आवास योजना	1. केश बुक 2. व्हाउचर नस्ती 3. चेक रजिस्टर 4. बैंक पासबुक 5. चेक बुक 6. आडिट रिपोर्ट 7. बिल रजिस्टर	संधारित हैं।	संधारित हैं।
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म0प्र0	1. केश बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर नस्ती 4. चेक रजिस्टर 5. बैंक पासबुक 6. चेक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश 8. आडिट रिपोर्ट 9. आवंटन रजिस्टर 10. बिल रजिस्टर	सूचना का अधिकार अधिन 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल एवं लेखाधिकारी, जिला पंचायत भोपाल।
6	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।	1. केश बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर नस्ती 4. चेक रजिस्टर 5. बैंक पासबुक 6. चेक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश 8. आडिट रिपोर्ट 9. आवंटन रजिस्टर 10. बिल रजिस्टर	— “—	— “—

## 7. स्थापना

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री एम. एल. वर्मा, परियोजना अधिकारी	सूचना का अधिकार अधि० 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मु०कार्य० अधि० परि.अधि. 2. कक्ष सहायक 3. कक्ष सहायक
2	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-1, एवं-2 श्री आर०एम०मिश्रा, सहायक परि. अधि.	—“—	—“—
3	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं अन्य पत्र श्री गौतम मुखर्जी, सहायक परियोजना अधिकारी	—“—	—“—
4	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री आर. के. तिवारी, सहा. परि. अधि.	—“—	—“—
5	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका व्यक्तिगतनस्ती - 03 श्रीमति ज्योति गौर सहा. सांचिकी अधिकारी	—“—	—“—
6	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-1, एवं -2 श्री अशोक गोयल, डब्लू० डी० टी०	—“—	—“—
7	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-1, एवं भाग -2 श्री एम० डी० बैरागी, अधीक्षक	—“—	—“—
8	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-1, एवं भाग-2 श्री अशेष सक्सेना, स्टेनो	—“—	—“—
9	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री छी० एस० दुबे, मैनेजर	—“—	—“—
10	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-1, एवं भाग-2 श्रीमती अन्नमा वर्गस (सेवानिवृत्त) लेखापाल	—“—	—“—
11	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-1, से भाग - 3 तक एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती साली सेमुअल - (सहा. ग्रेड-2)	—“—	—“—
12	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-1, से भाग - 2 तक एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री डी० टी० चन्दानी (सहा. ग्रेड-2)	—“—	—“—
13	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-1, एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री मानसिंह कुशवाह, (सहा. ग्रेड-2)	—“—	—“—
14	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-1, एवं भाग - 2 तक एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री जे. एस. राय (सहा. ग्रेड-3)	—“—	—“—
15	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-1, एवं भाग - 3 तक एवं व्यक्तिगत नस्ती	—“—	—“—

		श्री छगनलाल डेहरिया (सहा. ग्रेड-3)		
16	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-1, एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमति सुमन माथुर, (सहा. ग्रेड-3)	-----"	-----"
17	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री अमरनाथ तिवारी सहा0ग्रेड-3	-----"	-----"
18	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री रूईकर लेखाधिकारी	-----"	-----"
19	सामान्य नस्ती	व्यक्तिगत नस्ती (कम्प्यूटर आपरेटर संविदा)श्री मनोज कुम्हारे	-----"	-----"
20	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती शंकुतला सकरेना भृत्य	-----"	-----"
21	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती चन्दा शर्मा भृत्य	-----"	-----"
22	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग - 02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री विश्वनाथ वर्मा, भृत्य	-----"	-----"
23	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग - 02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री हबीब उद्दीन, भृत्य	-----"	-----"
24	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका व्यक्तिगत नस्ती श्री चन्द्रबहादुर थापा, भृत्य	-----"	-----"
25	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका व्यक्तिगत नस्ती श्री कुवंसिंह भृत्य	-----"	-----"
26	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका व्यक्तिगत नस्ती श्री मानसिंह परमार, भृत्य	-----"	-----"
27	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग - 02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री राजकुमार सैन, भृत्य	-----"	-----"
28	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री राजकुमार बारेबार, भृत्य	-----"	-----"
29	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग - 02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री कुमेरसिंह राजपूत, भृत्य	-----"	-----"
30	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री आरिफ खान, वाहन चालक	-----"	-----"
31	सामान्य नस्ती	व्यक्तिगत नस्ती एवं सेवापुस्तिका अप्राप्त श्री संजय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैरसिया	-----"	-----"
32	सामान्य नस्ती	व्यक्तिगत नस्ती एवं सेवापुस्तिका अप्राप्त श्रीमति सुधा भार्गव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा	-----"	-----"
33	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री सी.यू. रॉय, परियोजना अधिकारी	-----"	-----"
34	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री प्रशांत केलापुरे परिंगी अधिकारी	-----"	-----"
35	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री मो० अशरफ, तकनीकी सहा०	-----"	-----"
36	सामान्य नस्ती		-----"	-----"

37	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती की छायाप्रति श्री रईसखान, सेवानिवृत्त वाहन चालक	—“—	—“—
38	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री राधेश्याम साकल्ले, परिं अर्थो	—“—	—“—
39	सामान्य नस्ती		—“—	—“—
40	सामान्य नस्ती		—“—	—“—
41	सामान्य नस्ती	श्री एच० एल० प्रजापति, नस्ती 2003	—“—	—“—
42	सामान्य नस्ती	श्री एस० एस० शुक्ला, आई.ए.एस. नस्ती वर्ष 2001	—“—	—“—
43	सामान्य नस्ती	श्री के.एस. मारण, आई.ए.एस. नस्ती वर्ष 2001	—“—	—“—
44	सामान्य नस्ती	श्री व्ही. एस. निरंजन, आई.ए.एस. नस्ती वर्ष 2001	—“—	—“—
45	सामान्य नस्ती	डॉ, रविन्द्र परस्तौरा आई.ए.एस. नस्ती वर्ष 2001	—“—	—“—
46	सामान्य नस्ती	श्री एस० ए० खान वर्ष 2001	—“—	—“—
47	सामान्य नस्ती	श्रीमति पल्लवी जैन गौविल आई.ए.एस. 17/6/02 से 13/6/03	—“—	—“—
48	सामान्य नस्ती	श्री पवन कुमार शर्मा, आई.ए.एस. 14/6/03 से 27/7/04 तक पश्चावली	—“—	—“—
49	सामान्य नस्ती	डॉ नवनीत एम० कोठारी आई.ए.एस. 7/1/05 से	—“—	—“—
50	सामान्य नस्ती	स्थापना संबंधी पत्र व्यवहार 1996	—“—	—“—
51	सामान्य नस्ती	डॉ आर. डी.ए. स्वीकृत भरे रिक्त पदों की जानकारी वर्ष 2003	—“—	—“—
52	सामान्य नस्ती	डी०आर०डी०ए० स्टॉफ की कमी को पूरा करने बाबत पत्र व्यवहार	—“—	—“—
53	सामान्य नस्ती	सीधी भर्ती के कर्मचारियों को सामूहिक पेंशन योजना वर्ष 1996–97	—“—	—“—
54	सामान्य नस्ती	मध्यप्रदेश शासन के आदेश 1996–99 शासन से जारी आदेश नस्ती	—“—	—“—
55	सामान्य नस्ती	—“— वर्ष 2003–04	—“—	—“—
56	सामान्य नस्ती	—“— वर्ष 2002–03	—“—	—“—
57	सामान्य नस्ती	—“— वर्ष 2004–05	—“—	—“—
58	सामान्य नस्ती	वरिष्ठता सूची वर्ष 2002–03	—“—	—“—
59	सामान्य नस्ती	म०प्र० शासकीय सेवा बीमा सह बचत योजना	—“—	—“—
60	सामान्य नस्ती	श्री शफीककुर रहमान वाहन चालक 2003–04 क्रमोन्तति बावत।	—“—	—“—

61	सामान्य नस्ती	क्रमोन्नति योजना वर्ष 1999–2000 नस्ती	—“—	—“—
62	सामान्य नस्ती	क्रमोन्नति / पदोन्नति वर्ष 2003–04 नस्ती	—“—	—“—
63	सामान्य नस्ती	श्री राकेश द्विवेदी सहा० ग्रेड—2 नस्ती	—“—	—“—
64	सामान्य नस्ती	श्री संजय डेविड सहा० वि० विस्तार अधिि०	—“—	—“—
65	सामान्य नस्ती	श्रीमति जानकी पाण्डे नस्ती	—“—	—“—
66	सामान्य नस्ती	श्री वीरेन्द्र तिवारी नस्ती	—“—	—“—
67	सामान्य नस्ती	ग्रामोद्योग स्थापना 9/7/2 से 20/4/4	—“—	—“—
68	सामान्य नस्ती	दूरभाष आदेश स्वीकृत नस्ती 2003–04	—“—	—“—
69	सामान्य नस्ती	ग्रा० अधि० एंव वि—अधि वेतन भत्तों संबंधी नस्ती	—“—	—“—
70	सामान्य नस्ती	लेखा परीक्षा 2003 नस्ती	—“—	—“—
71	सामान्य नस्ती	पुराने अभिलेखों का विनिष्टिकरण 2003 नस्ती	—“—	—“—
72	सामान्य नस्ती	जिला पंचायत स्थापना की नस्ती 2003–04	—“—	—“—
73	सामान्य नस्ती	कार्य विभाजन 2002–03 नस्ती	—“—	—“—
74	सामान्य नस्ती	दैनिक वेतन भोगी नस्ती 2003–04 एवं 2004–05	—“—	—“—
75	सामान्य नस्ती	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भोपाल 28/1/02 से 23/1/04 स्थापना संबंधी नस्ती	—“—	—“—
76	सामान्य नस्ती	महिला उत्पीड़न वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 नस्ती	—“—	—“—
77	सामान्य नस्ती	विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी लोक सभा निर्वाचन ड्यूटी 2003–04 नस्ती	—“—	—“—
78	सामान्य नस्ती	फोटो कॉपियर मशीन स्थापना अनुबंध 03 से 2004 नस्ती	—“—	—“—
79	सामान्य नस्ती	जी० पी० एफ० स्वीकृति 2003 से 2004 तक नस्ती जनपद पंचायत कर्मचारी	—“—	—“—
80	सामान्य नस्ती	आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को स्थापना संबंधी मासिक जानकारी 2003 से 2005 तक नस्ती	—“—	—“—
81	सामान्य नस्ती	अग्रिम द्वारा कार्यक्रम 2003–04 नस्ती	—“—	—“—
82	सामान्य नस्ती	यात्रा देयक / दौरा डायरी अनुमोदन 2003–04 अधीनस्थ कार्यालयों के एंवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का प्रस्ताव वार्षिक वेतन वृद्धि 2004–05 की सूची	—“—	—“—
83	सामान्य नस्ती	वार्षिक वेतन वृद्धि 2004–05 सूची 2005–06 सूची	—“—	—“—

84	सामान्य नस्ती	अवकाश संबंधी के प्रत्योजन बावत् 30-10-96 से 19-04-99	-----"	-----"
85	सामान्य नस्ती	बैकलांग 2003-04 नस्ती	-----"	-----"
86	सामान्य नस्ती	म0प्र0 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2002-03-04 नस्ती	-----"	-----"
87	सामान्य नस्ती	आकर्षित ऐच्छिक अवकाश 1/1/04 से पंजी एवं नस्ती	-----"	-----"
88	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्र 2002-03 नस्ती	-----"	-----"
89	सामान्य नस्ती	विधान सभा ड्यूटी 2002-03 नस्ती	-----"	-----"
90	सामान्य नस्ती	जिला सरकार 10/12/2003 नस्ती	-----"	-----"
91	सामान्य नस्ती	उपस्थिति प्रतिवेदन 2004 फरवरी से लेखा शाखा को उपस्थिति भेजने बावत्।	-----"	-----"
92	सामान्य नस्ती	आदेश फाईल 22/6/03 से विविध आदेश बावत्	-----"	-----"
93	सामान्य नस्ती	ग्रामस्तर पर प्रशासन को सक्रिय 2004-05 नस्ती	-----"	-----"
94	सामान्य नस्ती	कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त एवं वर्ष 2003-04-05 तक समन्वयक एवं 1 से 14 बिन्दूओं पर प्रतिमाह भेजने वाली जानकारी	-----"	-----"
95	सामान्य नस्ती	श्री संजीव श्रवण मण्डल संयोजक वर्ष 2004-05	-----"	-----"
96	सामान्य नस्ती	पंचायत की धारा 40/92-10 10/0/04 से नस्ती	-----"	-----"
97	सामान्य नस्ती	राजाभाई जनपद सदस्य द्वारा उद्यान विभाग की शिकायत	-----"	-----"
98	सामान्य नस्ती	चल अचल सम्पर्क वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक नस्ती	-----"	-----"
99	सामान्य नस्ती	अशंकालीन स्वच्छ स्वीपर 23/3/02 से नस्ती	-----"	-----"
100	सामान्य नस्ती	अनुकम्पा नियुक्ति वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005 तक	-----"	-----"
101	सामान्य नस्ती	शिक्षा विभाग के पत्राचार 2004-05	-----"	-----"
102	सामान्य नस्ती	ए० डी० ओ० स्थापना 7/3/03 से नस्ती	-----"	-----"
103	सामान्य नस्ती	जिला पंचायत के कार्यालय का युक्तियुकरण 2004 तक	-----"	-----"
104	सामान्य नस्ती	विकास स्थापना 2003-04 से स्थापना नस्ती 05 नस्ती	-----"	-----"
105	सामान्य नस्ती	अवकाश फाईल कार्यालय कर्मचारी 2004-05	-----"	-----"
106	सामान्य नस्ती	जिला पंचायत में संलग्न विभिन्न कर्मचारियों की नस्ती	-----"	-----"

107	सामान्य नस्ती	अनिल कुमार दुनानी, भृत्य (शिक्षा) 2003–04		
108	सामान्य नस्ती	सामान्य पत्राचार 2004–05		
109	सामान्य नस्ती	सर्वशिक्षा 2003–04 नस्ती		
110	सामान्य नस्ती	कैलाश चतुर्वेदी वाहन स्वच्छक 26 जून 03 से		
111	सामान्य नस्ती	डी० आर० डी० ए० में प्रतिनियूक्ति 2002–04 तक		
112	सामान्य नस्ती	प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने वाले आवेदन महत्वपूर्ण		
113	सामान्य नस्ती	परि अर्थशास्त्री प्रतिनियूक्ति 2002–03		
114	सामान्य नस्ती	तकनीकी सहायक प्रतिनियूक्ति 2002–03 नस्ती		
115	सामान्य नस्ती	अतिशेष कर्मचारी जनपद पंचायत फन्दा 2004–05		
116	सामान्य नस्ती	उपसंचालक मछली 2004–05 नस्ती		
117	सामान्य नस्ती	उपसंचालक उद्यान 2004–05 नस्ती		
118	सामान्य नस्ती	मत्स्य विभाग डी०डी० टी० 2004–05 नस्ती		
119	सामान्य नस्ती	सोना मत्स्यउद्योग 1994 से नस्ती		
120	सामान्य नस्ती	अक्षय ऊर्जा 2003–04 नस्ती		
121	सामान्य नस्ती	मत्स्य तालाब की जानकारी 2002–03		
122	सामान्य नस्ती	पंचायत एंव समाज कल्याण नस्ती 2003–04		
123	सामान्य नस्ती	गौवंश सरक्षण एंव गौसर्वर्धन के आधार पर टिकाउ ग्रामीण विकास करने बावत्		
124	सामान्य नस्ती	गौशाला हेतु भूमि आबंटन 2004–05 नस्ती ग्रा० प० एवं कालापानी कढ़ैयाशाह		
125	सामान्य नस्ती	विभागीय जॉच एवं न्यायालयीन 2003–04 तक श्री डी.टी. चन्दानी नस्तीबद्व श्री चिन्तामणी झा आरोप पत्र जारी करना है।		
126	सामान्य नस्ती	नेवरी तालाब 1996 से नस्ती		
127	सामान्य नस्ती	चूना कार्कीट जलाशय 1 से नस्ती		
128	सामान्य नस्ती	हताईखेडा जलाशय 1996 से नस्ती		
129	सामान्य नस्ती	मत्स्य विभाग के निद्रेश 1996 नस्ती		

130	सामान्य नस्ती	गरेटिया जलाशय 2002 नस्ती		
131	सामान्य नस्ती	बकानिया जलाशय नस्ती		
132	सामान्य नस्ती	विधानसभा प्रश्न क्र. 6061–6084 से नस्ती		
133	सामान्य नस्ती	पशु चिकित्सा विभाग विभागीय पदोन्नति		
134	सामान्य नस्ती	फसल कटाई 2003–04 नस्ती		
135	सामान्य नस्ती	मनीखेड़ी एंव कल्याणपुर जलाशय 2004–05		
136	सामान्य नस्ती	श्री ए० ए० खान, कृषि अनुदेशक 2003–04 स्वत्वों का भुगतान नस्ती		
137	सामान्य नस्ती	सहकारिता उद्योग की बैठक में अनु० रहने बावत्		
138	सामान्य नस्ती	बायोगैस 2003–04 बायोगैस लक्ष्यपूर्ति नस्ती		
139	सामान्य नस्ती	श्री विरेन्द्र मिश्रा वाहन चालक 2004–05 नस्ती		
140	सामान्य नस्ती	नगर निगम निर्वाचन आदेश एवं पत्र 2009		
141	सामान्य नस्ती	श्री जे.पी. खरे, उप संचालक मत्सय		
142	सामान्य नस्ती	श्रीमति ऊषा अजयसिंह जि.संयो. आदिम जाति		
143	सामान्य नस्ती	श्री बी.एल. अहिरवार कार्यपालन अधिकारी		
144	सामान्य नस्ती	श्रीमति सरिता श्रीवास्तव एलडीसी		
145	सामान्य नस्ती	श्री आदर्श अवस्थी तकनीकी सहायक		
146	सामान्य नस्ती	श्री प्रफुल दीक्षित परि. अधि. व्यवित्रित नस्ती		
147	सामान्य नस्ती	श्री सी. दोहर मु.कार्य. अधि. ज. पं. बैरसिया		
148	सामान्य नस्ती	श्री के.एस.पी. नायर (एपीओ)		
149	सामान्य नस्ती	श्री एम.एल. वर्मा (पीओ जि.पं. भोपाल)		
150	सामान्य नस्ती	श्रीमति पुष्पा वर्मा तक. सहा. जि. पं. भोपाल		
151	सामान्य नस्ती	श्री एस. यू. शाहिद (एपीआ जि.पं. भोपाल)		
152	सामान्य नस्ती	श्री एन. खन्ना उपयंत्री जि.पं. भोपाल		
153	सामान्य नस्ती	श्री आशीष सक्सेना मु.कार्य.अधि. जि.प. भोपाल		

154	सामान्य नस्ती	समन्वय समिति / परामर्श दात्री समिति 2006-07 / 07-08		
155	सामान्य नस्ती	दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत वर्ष 2008-09 की जानकारी		
156	सामान्य नस्ती	श्री व्ही. के. श्रीवास्तव ई.ई. आरईएस		
157	व्यक्तिगत नस्ती	श्री ज्ञानेश्वर पाटिल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल		
158	व्यक्तिगत नस्ती	मुख्य चिकित्सा एवं स्वरक्ष अधिकारी जिला पंचायत भोपाल वर्ष 2007-08		
159	व्यक्तिगत नस्ती	श्री बाबूलाल सुमहरे भृत्य 2005		
160	व्यक्तिगत नस्ती	श्री आर.के. वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज. पं. बैरसिया		
161	व्यक्तिगत नस्ती	श्री विजय कांवले तक. सहा. जि. पं. भोपाल		
162	व्यक्तिगत नस्ती	श्री प्रधुम्ब शर्मा परि. अधि.		
163	व्यक्तिगत नस्ती	श्री राजेश दाहिया (एपीओ)		
164	व्यक्तिगत नस्ती	श्री एच.सी. वर्मा बीडीओ बैरसिया		
165	व्यक्तिगत नस्ती	श्री एम.पी. निगम परि. अधिकारी		
166	व्यक्तिगत नस्ती	श्री यादव राव पाटिल परि. अधि.		
167	व्यक्तिगत नस्ती	श्री एल.एन. साहू तक. सहा. जि. पं. भोपाल		
168	व्यक्तिगत नस्ती	श्री प्रशांत श्री वास्तव परि. अधिकारी		
169	व्यक्तिगत नस्ती	श्री गौतम मुखर्जी सहा. परि. अधिकारी		
170	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति जी.व्ही. रश्मि मु.कार्य.अधि. जि. पं. भोपाल		
171	व्यक्तिगत नस्ती	श्री एस. के. उपाध्याय मु.कार्य.अधि. जि. पं. भोपाल		
172	व्यक्तिगत नस्ती	श्री के.सी. सक्सेना पी.ओ. जि.पं. भोपाल		
173	व्यक्तिगत नस्ती	श्री दीपक कुमार बराडपाण्डे (एपीओ जि.पं. भोपाल )		
174	व्यक्तिगत नस्ती	श्री लीलाकिशन पाटीदार ले० अधि० जि.पं. भोपाल		
175	व्यक्तिगत नस्ती	सुश्री कल्पना पाण्डे पीओ. संविदा जि.पं. भोपाल		
176	व्यक्तिगत नस्ती	सुश्री गाथा त्रिवेदी एपीओ. संविदा जि.पं. भोपाल		
177	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति शीबा बैग टास्क मैनेजर एमडीएम संविदा		

178	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति रश्मि वर्मा टास्क मैनेजर एमडीएम संविदा		
179	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति रुक्मानी मिश्रा क्वालिटी मानीटर एमडीएम संविदा		
180	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति विशाखा बाला श्रीवास्तव क्वालिटी मानीटर एमडीएम संविदा		
181	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति प्रीति राय. तकनीकी सहा. संविदा जिला पंचायत भोपाल		
182	व्यक्तिगत नस्ती	श्री बी.के. तिवारी तकनीकी सहा. जिला पंचायत भोपाल		
183	व्यक्तिगत नस्ती	श्री सुरेश गुप्ता तकनीकी सहा. जिला पंचायत भोपाल		
184	व्यक्तिगत नस्ती	श्रीमति नाजिस फातमा तकनीकी सहा. जिला पंचायत भोपाल		
185	व्यक्तिगत नस्ती	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव मु.कार्य.अधि. ज. पं. बैरसिया		
186	व्यक्तिगत नस्ती	श्री संजीत कुमार श्रीवास्तव मु.कार्य.अधि. ज. पं. फन्दा		
187	व्यक्तिगत नस्ती	श्री उमेश मेहरा ग्रामोद्योग विकास विस्तार अधिकारी		
188	व्यक्तिगत नस्ती	श्री माजिद हुसैन वरिष्ठ निरीक्षण हाथकरघा		
189	व्यक्तिगत नस्ती	म.प्र. जन अभियान परिषद अंतर्गत जिला स्तरीय समिति का गठन		
190	व्यक्तिगत नस्ती	श्री राजू शिल्पकार सहा. ग्रेड-3 हाथकरघा एवं हस्तशिल्प		

## 08. एसजीएसवाय शाखा अंतर्गत संधारित नस्तियों की सूची

क्र.	नस्ती क्रमांक	नाम
1	1	अधोसंरचना एसजीएसवाय निर्माण हाट बाजार / शेड निर्माण
2	2	एसजीएसवाय स्वसहायता समूहों का प्रशिक्षण कार्यक्रम बरी पापड़ मसाला
3	3	एसजीएसवाय हाट बाजार निर्माण वर्ष 09–10 जिला स्तर हाट बाजार
4	4	एसजीएसवाय रूटसेटी प्रशिक्षण केन्द्र (आरसेटी) बहन निवेदिता एवं स्व. समूह
5	5	प्रपत्र 4 अनुदान राशि
6	6	बीपीएल परिवार लार्सन एण्ड ट्रूबो द्वारा प्रशिक्षण संबंधी विशेष नस्ती
7	7	फेडरेशन का गठन वर्ष 07–08
8	8	एसजीएसवाय डाटाबेस की जानकारी

9	9	डॉक्टर रेड्डी फाउन्डेशन प्रोजेक्ट
10	10	स्पेशल प्रोजेक्ट (एनआईईएसबीयूडी) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
11	11	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत क्रय किये जाने वाले पशु पक्षियों का लंबी अवधि का बीमा नस्ती
12	12	एमपी कॉन लिमिटेड एसजीएसवाय के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण
13	13	भोपाल हाट कॉटन एवं क्राफ्ट मेला एवं 01/05/09 से 20/05/10 तक
14	14	प्रोजेक्ट विन्ध्यावेली स्वसहायता समूह ग्राम बर्रीचीरखेड़ा जनपद पंचायत बैरसिया अगरबत्ती प्रशिक्षण
15	15	सीआईडीसी (निर्माण कार्य में लगे ग्रामीण कुशल कारीगरों की कुशलता) एसजीएसवाय
16	16	अधोसंरचना मद एसजीएसवाय दुकान निर्माण हाट बाजार टीएससी
17	17	अल्पसंख्यक बीपीएल स्वरोजगारियों को एसजीएसवाय योजना अंतर्गत लाभान्वित
18	18	एसजीएसवाय हाट बाजार मेलों का अधोसंरचना मद से राशि भेजने वाली नस्ती
19	19	अन्नपूर्णा पोषण आहार सहकारी संस्था विविध नस्ती
20	20	सामान्य पत्राचार नस्ती / शिकायत
21	21	जिला स्तर पर जिला सहयोग इकाई
22	22	अगरबत्ती प्रशिक्षण एनजीओ
23	23	जिला स्तर पर महापंचायत स्वसहायता समूह
24	24	एसजीएसवाय हाट बाजार से राशि प्रदाय
25	25	एसजीएसवाय कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत
26	26	एडीईओएस पत्राचार नस्ती
27	27	अधोसंरचना 06–07 07–08
28	28	परिस्मृतियों का भौतिक सत्यापन चक्रिय राशि का प्रदाय जानकारी
29	29	जिला स्तरीय एसजीएसवाय समिति की बैठक
30	30	प्रपत्र 4 बैरसिया
31	31	प्रपत्र 4 फंदा
32	32	कार्यालय सीएम निवास / शिकायत
33	33	एसजीएसवाय स्वसहायता जिलों में गठित स्वसहायता समूहों की गतिविधिवार जानकारी
34	34	साप्ताहिक रिपोर्ट
35	35	एजीएमपी ऑडिट संबंधी जानकारी
36	36	प्रशिक्षण कार्यक्रम एकीकृत जैविक आम उत्पादन
37	37	एसजीएसवाय प्रशिक्षण वर्ष 06–07
38	38	मिल्क ट्रेनिंग सेन्टर फन्दाकला दो नस्तियों के साथ

39	39	भोपाल हाट बाजार वर्ष 07–08 / रीजनल सरस मेला
40	40	प्रपत्र 4 फन्दा / बैरसिया 08–09
41	41	एनजीओ वर्ष 04–05
42	42	एसजीएसवाय ऋण वसूली 09–10
43	43	एसजीएसवाय योजनांतर्गत वर्ष 09–10 में लाभान्वित स्वरोजगारियों की सूची
44	44	एसजीएसवाय मासिक प्रगति वर्ष 2008–09
45	45	एसजीएसवाय योजनांतर्गत एनजीओ अनुबंध
46	46	वर्ष 99–2000 एसजीएसवाय अनुदान प्रदाय (बैंकों को)
47	47	स्पेशल प्रोजेक्ट एसजीएसवाय तृतीय (डॉ. रेड्डी फाउन्डेशन)
48	48	एसजीएसवाय अधोसंरचना मद
49	49	अधोसंरचना के प्रस्ताव एसजीएसवाय
50	50	अधोसंरचना मद 04–05 से 05–06
51	51	एसजीएसवाय अधोसंरचना मद के तहत गठन पशु विकास कार्यक्रम
52	52	विमर्श एनजीओ
53	53	एसजीएसवाय अनुपयोगी अनुदान संबंधी जानकारी
54	54	एसजीएसवाय अनुदान राशि (सबसिडी) 2003–04
55	55	एसजीएसवाय अधोसंरचना 2002–03
56	56	एसजीएसवाय प्रशिक्षण 2003–04
57	57	एसजीएसवाय समीक्षा बैठक 23.02.08
58	58	नेहरू युवा कन्द्र भोपाल द्वारा गठित समूह अनुदान / अधोसंरचना
59	59	एसजीएसवाय लाभान्वित स्वरोजगारियों की सूची 01.04.99
60	60	मध्यान्ह भोजन (जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शाला में महिला एवं स्वसहायता समूहों के लिए मध्यान्ह भोजन)
61	61	मृत पशु बीमा योजना / दावे संबंधी जानकारी
62	62	शिविर आयोजन नस्ती
63	63	विधान सभा नस्ती
64	64	एसजीएसवाय अधोसंरचना 2007–08
65	65	परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन 08–09
66	66	एसजीएसवाय ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक 2009–10
67	67	एसजीएसवाय वर्ष 2008–09 के कार्य योजना 100 दिवस
68	68	एसजीएसवाय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के हितार्थ कार्य योजना तैयार कर लाभ प्रदाय करने
69	69	एसजीएसवाय मासिक प्रगति अप्रैल 09
70	70	एसजीएसवाय योजनांतर्गत जिला पंचायत / ज.पं. द्वारा प्रिंटिंग / स्टेशनरी तथा विज्ञापन 07–08
71	71	एसजीएसवाय लक्ष्य पूर्ति
72	72	एसजीएसवाय एनजीओ नस्ती प्रशिक्षण प्रोजेक्ट

73	73	जे.के. ट्रस्ट तीन नस्ती 1,2,3
74	74	स्वसहायता समूहों की महापंचायत
75	75	एमडीएम से संलग्न स्वसहायता समूहों की हाईजीनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए एपरान, ग्लब्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री
76	76	जिला स्तर पर हाट बाजार भूमि आबंटन
77	77	राज्य आजीविका फोरम का गठन
78	78	उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप)
79	79	लक्ष्य पूर्ति का व्यवहार क्रेडिट मोबिलाइजेशन
80	80	साख सब्जी सम्पदा शाहपुरा
81	81	एसजीएसवाय योजनांतर्गत अनुदान राशि देने बावत्
82	82	महालेखाकार को लंबित कंडिकाओं से मु.का.अ. पत्र व्यवहार दो नस्ती
83	83	अधोसंरचना मद की पत्राचार नस्ती 06–07
84	84	अनुदान ऋण वर्ष 07–08
85	85	एसजीएसवाय स्पेशल प्रोजेक्ट
86	86	रोजगार मेले का आयोजन जिला स्तर पर
87	87	एनिकेट हेल्थ केयर प्रशिक्षण
88	88	क्रिप्स सोसाईटी एसजीएसवाय योजना अंतर्गत स्टेट लेवल ट्रेनिंग कम्प्यूटर
89	89	प्रशिक्षण नस्ती
90	90	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत ऋण रखीकृति के पश्चात बैंकों से प्राप्त पत्र
91	91	इंडिया रूरल बिजनेश सबमिट एंड एकजीविशन मार्च 22–23 फेडरेशन हाउस नई दिल्ली
92	92	रंभा स्वसहायता समूह ग्राम खजूरी सड़क अगरबत्ती प्रशिक्षण
93	93	एसजीएसवाय प्रशिक्षण
94	94	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत गठित समूहों का परिसंघ फेडरेशन गठन
95	95	परि.अधिकारियों की बैठक संबंधी नस्ती
96	96	एसजीएसवाय सिलाई प्रशिक्षण / मसाला उद्योग
97	97	एसजीएसवाय अंतर्गत कार्यशाला
98	98	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत 07–08, 08–09 बीपीएल स्व.समूहों एवं स्वरोजगारियों
99	99	एसजीएसवाय प्रशिक्षण 99–2000
100	100	डीएलसीसी / बीएलसीसी (एसजीएसवाय) समिति की बैठक
101	101	उत्प्रेक वर्ष 2003–04
102	102	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत आजीविका एवं कौशल उन्नयन केन्द्र स्थापना अंतर्गत दिशा निर्देश
103	103	एसजीएसवाय मासिक जानकारी 3 नस्ती
104	104	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत भास्कर ग्रुप फाउन्डेशन विशेष परियोजना
105	105	एसजीएसवाय योजना अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण
106	106	सूचना का अधिकार एसजीएसवाय
107	107	राष्ट्रीय विकास संस्थान हैदराबाद एसजीएसवाय
108	108	नवजात विकलांग जनकल्याण समिति

109	109	भारतीय जूट एवं सिलाई कला प्रशिक्षण केन्द्र समिति
110	110	गांव का विकास पुरानी बाग सेवनिया से राम मंदिर भोपाल
111	111	श्रीमान जी मानव कल्याण समिति नेहरू नगर
112	1121	चबूतरा हाट बाजार निर्माण

## 09. वाहन शाखा अंतर्गत संधारित नस्तियों का विवरण

क्र.	नस्ती क्रमांक	नाम
1	1	वाहन क्र. एमपी 02 – 0401 पेट्रोल नस्ती
2	2	वाहन क्र. एमपी 02 – एव्ही 1155 डीजल नस्ती
3	3	वाहन क्र. एमपी 04 – एच बी 697 डीजल नस्ती
4	4	वाहन क्र. एमपी 04 – टी 9450 डीजल नस्ती
5	5	वाहन क्र. एमपी 02 – 1000 डीजल नस्ती
6	6	वाहन क्र. एमपी 02 – एव्ही 1155 मरम्मत नस्ती
7	7	वाहन क्र. एमपी 02 – 0401 मरम्मत नस्ती
8	8	वाहन क्र. एमपी 04 – एच बी 697 पेट्रोल/मरम्मत नस्ती
9	9	वाहन क्र. एमपी 02 – 1000 मरम्मत नस्ती
10	10	पुराने वाहनों की नीलामी संबंधी नस्ती

## 10. समिति/साधारण सभा/सामान्य प्रशासन अंतर्गत संधारित नस्तियों का विवरण

क्र.	नस्ती क्रमांक	नाम
1	1	साधारण सभा नस्ती
2	2	सामान्य प्रशासन समिति नस्ती
3	3	साधारण सभा रजिस्टर
4	4	सामान्य प्रशासन समिति रजिस्टर
5	5	उपस्थिति रजिस्टर

## अध्याय – 7 (मैन्युअल – 6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण में संबद्ध बोर्ड, परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें

❖ संबद्ध संस्था का नाम एवं पता

1. सामान्य प्रशासन समिति,

जिला पंचायत फिरोजा काटैज – 5 पुराना सचिवालय भोपाल

❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

जिला पंचायत की स्थापना ओर सेवाओ, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना बजट लेखे, कराधान, श्रम तथा जनशक्ति नियोजन, बाढ़, सूखा, भूंकप, ओलावृष्टि, दुर्भिक्ष, टिङ्डी दल तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा अन्य वित्तीय मामले ओर उन विषयों से जो किसी अन्य समितियों को आवंटित कृत्यों के अन्तर्गत नहीं आते।

❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

प्रबंधकारिणी:-

❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

07 सदस्य

❖ मुख्य अधिकारी का नाम

श्री एस. के. उपाध्याय

❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ बैठक की आवृत्ति

समान्यत माह में एक बार

❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं

जी हॉ

❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है

जी हॉ

## 2. कृषि स्थायी समिति

जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

कृषि भू-राजस्व तथा पशु पालन, विद्युत शक्ति कृष्यकरण जिसमें मृदासंक्षण और समोच्चय वनधान (कंटुर वंडिंग) सम्मिलित है, के लिए ओर मत्सयपालन कम्पोस्ट खाद्य बनाने, बीज वितरण और कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विषयों के लिए।

❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्शदात्रीः—

❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

05 सदस्य

❖ मुख्य अधिकारी का नाम

उप संचालक (कृषि)

❖ निर्वाचित सभापति का नाम

श्रीमति ममता मीना

❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है

जी हॉ

❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है

जी हॉ

3. वन समिति

जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

सामाजिक वानिकी, एकीकृत पड़त भूमि विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय उद्यान, लद्युवनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रमों के लिए।

- ❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्शदात्री:-

- ❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति  
03 सदस्य

- ❖ निर्वाचित सभापति का नाम

श्री नौरंग सिंह गुर्जर

- ❖ मुख्य अधिकारी का नाम

वन मंडलाधिकारी

- ❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

- ❖ बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

- ❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

- ❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है

जी हॉ

- ❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है

जी हॉ

#### 4. शिक्षा स्थासी समिति

जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

- ❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

- ❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

शिक्षा के लिए, जिसमें प्रोड़ शिक्षा सम्मिलित है, निशक्तों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, मद्यपान त्याग या मद्यनिषेध आदिम जाति तथा पिछडे वर्ग व हरिजन कल्याण तथा खेलकूद एवं युवक कल्याण के लिए।

- ❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्शदात्रीः—

- ❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

04 सदस्य

- ❖ मुख्य अधिकारी का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

- ❖ निर्वाचित सभापति का नाम

श्रीमति कल्पना मीना

- ❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

- ❖ बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

- ❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है  
नहीं
- ❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है  
जी हॉ
- ❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है  
जी हॉ

## 5. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति

जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

- ❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)  
समिति
- ❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)  
उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण जलप्रदाय तथा जल निकास के लिए।

- ❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)

परामर्शदात्रीः—

- ❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

03 सदस्य

- ❖ मुख्य अधिकारी का नाम

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

- ❖ निर्वाचित सभापति का नाम

श्रीमति भगवती मेहर

❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है

जी हॉ

❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है

जी हॉ

## 6. सहकारिता एवं उद्योग समिति

जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

सहकारिता, मित्व्यता और अल्पबचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम, बाजार एवं सांख्यिकी के लिए।

❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)

परामर्शदात्रीः—

❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति  
03 सदस्य

❖ मुख्य अधिकारी का नाम

महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र

❖ निर्वाचित सभापति का नाम

श्रीमति पार्वती बाई

❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है

जी हॉ

❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है

जी हॉ

7. संचार तथा संकर्म समिति

जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

❖ संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

- ❖ संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्यः—

संचार, लघुसिचाई, ग्रामीण गृह निर्माण तथा अन्य लोक संकर्मों के लिए।

- ❖ संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)

परामर्शदात्रीः—

- ❖ स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

03 सदस्य

- ❖ मुख्य अधिकारी का नाम

कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

- ❖ निर्वाचित सभापति का नाम

श्रीमति मधु वरिष्ठ

- ❖ मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

- ❖ बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

- ❖ क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

- ❖ क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है

जी हॉ

- ❖ क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है

जी हॉ

## अध्याय – 8 (मैन्युअल – 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत् लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करे।

**लोक प्राधिकरण का नाम :** जिला पंचायत, भोपाल

**लोक सूचना अधिकारी :**

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री दीपक बराडपाण्डे	सहायक परियोजना अधिकारी	0755	2540964	2467193	27388041		कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

**प्रथम अपीलीय अधिकारी :-**

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस. के. उपाध्याय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	0755	2540964	2413017	2546733	E-Mail ceozpbho- mp@mail.nic.in	कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजा काटैज – 5, पुराना सचिवालय, भोपाल।

**अध्याय – 9 (मैन्युअल – 8)**

**निर्णय लेने की प्रक्रिया**

- 9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है। (सचिवालय मैनुअल और बिजीनस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)

लोक प्राधिकरण में निर्णय लेने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिये जाते हैं।

- 9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने के हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल पूर्ण रूप से अधिकृत है।

- 9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है।

लोक प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गये कार्यक्रम/योजनाओं के लाभार्थियों की सूची प्राधिकरण के वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा मॉगने पर जनता को उपलब्ध कराई जावेगी।

- 9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है।

लोक प्राधिकरण में जिलास्तर पर निर्णय लेने हेतु संबंधित योजना प्रभारी अधिकारी, की संस्तुति उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निर्णय लिये जाते हैं, तथा जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फन्दा/बैरसिया निर्णय लेने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत है।

- 9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी।

लोक प्राधिकरण में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल द्वारा लिया जाता है।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करे।

क्र० सं०	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	लोक प्राधिकरण को सौपी गई विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाएँ / कार्यक्रम
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सौपी गई विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रम हेतु जारी दिशा निर्देश।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	दिशा निर्देश में उल्लेखित प्रावधान अनुसार।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	संबंधित योजना के प्रभारी अधिकारी,
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	कार्यालय जिला पंचायत फिरोजा कॉटेज – 5 पुराना सचिवालय भोपाल।
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करे।	कलेक्टर जिला भोपाल

अध्याय – 10 (मैन्युअल – 9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

## 10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे।

क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री एस. के. उपाध्याय	मु0का0 अधि0	2540964	24411947	2738041	ceozpbhomp@mp.gov.in	डी-7 उपांत कालोनी चार इमली भोपाल
2	श्री एल. के. पाटीदार	लेखाधिकारी	—“—	9826741570	—“—		ई-8 / 312 भरत नगर भोपाल
3	श्री बी.एल. शर्मा	ग्रा. उ. अधि	—“—	9826647576			248 वैभव सुरेन्द्र प्लेस भोपाल
4	कु. कल्पना पाण्डे	परियोजना अधिकारी	—“—	9425600685			ई-8 अरेरा कॉलोनी भोपाल
5	श्री अमित सक्सेना	जिला ग्रा0 रो0 गा0 अधि0	—“—	9993368222			182 गौतम नगर गीतांजलि कॉलेज के पास भोपाल
6	सुश्री प्रेमलता मालवीय		—“—	9630534700			98, सोमा प्लेस मालवीय नगर भोपाल
7	श्री आर. एम. मिश्रा	सहा0 परि0 अधि0	2540964	2777056	—“—		एस-1111 नेहरू नगर भोपाल
8	श्री आर. के. तिवारी	सहा0 परि0 अधि0	—“—	2764266	—“—		37 / 32 साउथ टी. टी. नगर भोपाल
9	श्री अशोक गोयल	परि0 अधि0	—“—	9827233930			प्लाट न0 17-18 ओम शिव कॉलोनी लाल घाटी भोपाल
10	श्री राधेश्याम साकल्ले	परियोजना अर्थशास्त्री	—“—	9981720615			ई-7 विवेक अपार्ट मेन्ट 3 32 / 201 लाजपत सोसायटी अरेरा कॉलोनी भोपाल
11	श्री दीपक बारडपाण्डे	परियोजना अधिकारी	—“—	9425689375			नुपुर कुंज ई-3 अरेरा कॉलोनी भोपाल
12	कु0 गाथा त्रिवेदी	सहा0 परि0 अधिकारी		9893240748			म0 न0 316, अरविन्द बिहार बाग मुगालिया भोपाल

13	श्रीमति आस्था अनुरागी		_____”_____	9425365216		पी.एन.टी. चौराह नेहरू नगर भोपाल
14	श्री अशेष सक्सेना	स्टेनो	_____”_____	9425301960		104 गोमती कालोनी नेहरू नगर भोपाल
15	श्री मो0 अशरफ	तकनीकी सहायक	_____”_____	9893684260		05 बाबा फरीद स्टीट जहाँगीराबाद भोपाल
16	श्री बी0 के0 तिवारी	तकनीकी सहायक		9425676950		जी-3 / 94, 1100 क्वाटर्स अरेरा कॉलोनी भोपाल
17	श्रीमति नाजिश फातमा	तकनीकी सहायक		9993367467		147-बी, भेल भोपाल
18	श्रीमति प्रीति राय	तकनीकी सहायक		9826383902		81 ऋषि वैली वैशाली नगर भोपाल
19	श्री माजिद खान	वरिष्ठ निरीक्षक				म0 न0 18, रेत घाट गली न0 01 भोपाल
20	श्री एम. एल. डोलेकर	ग्रा0 कृषि वि0 अधि0		9754247997		म0 न0 सी-91 भेल संगम कॉलोनी बाग मुगालिया भोपाल
21	श्री हीरालाल महोविया	वरिष्ठ डाटा मैनेजर		9582335280		म0 न0 87 चर्च रोड अहिर मो0 जहाँगीराबाद भोपाल
22	श्री व्ही0 के0 शुक्ला	ग्रा0 कृ0 वि0 अधि0	_____”_____	9893488824		वल्लभ नगर लालाघाटी भोपाल
23	श्री संदीप तिवारी	सहायक कृषि उ0 अधि0		8827707714		म0 न0 87 चर्च रोड अहिर मो0 जहाँगीराबाद भोपाल
24	श्रीमति साली सेमुअल	सहा0 ग्रेड-2	_____”_____			सर्वधर्म कॉलोनी बी सेक्टर कोलार रोड भोपाल
25	श्री मानसिंह कुशवाह	सहा0 ग्रेड-2	_____”_____	9329522824		क्या. न. आई-52 / 14 साउथ टी0टी0 नगर भोपाल
26	श्री डी0 टी0चन्दनी	सहा0 ग्रेड-2	2540964	9329496299	2738041	ए-31 / 318 बैरागढ़ भोपाल

27	श्री अरूण शर्मा	सहा० ग्रेड—२		9926851060			1250 तुलसी नगर भोपाल
28	श्री व्ही० एस० दुबे	प्रबंधक		9424456736			वी—७१ माचना कालोनी शिवाजी नगर भोपाल
29	श्री जे० एस० राय	सहा० ग्रेड—३		9425302031			सी—४६ रविशंकर शुक्ला मार्केट पी. एन०बी० के पीछे ५ न० स्टाप भोपाल
30	श्री सी० एल० डेहरिया	सहा० ग्रेड—३		9425302038			शारदा नगर फेस—२ लाम्बाखेडा भोपाल
31	श्रीमति गंगा मोटवानी	सहा० ग्रेड—३		9893835522			बी—२ सब्जी मण्डी बैरागढ़ भोपाल
32	श्री अमरनाथ तिवारी	सहा० ग्रेड—३		9425378608			193 हसनांत नगर बाणगंगा भोपाल
33	श्रीमति सुमन माथुर	सहा० ग्रेड—३		9098502377			५ श्रवण होम्स जे. के. रोड भोपाल
34	श्री मनोज कुम्हारे	कम्प्यूटर ऑप० संविदा		9425012723			४४ शहीद नगर भोपाल
35	श्रीमति शीबा वेग	टास्क मैनेजर संविदा		9981663244			ऐशबाग भोपाल
36	श्रीमति रश्मि वर्मा	टास्क मैनेजर संविदा		9770221390			एल.आई.जी. — ४ रत्नागिरी भोपाल
37	श्रीमति रुक्मणी मिश्रा	क्वालीटि मॉनिटर संविदा		9827455572			कोलार रोड भोपाल
38	श्रीमति विशाखा श्रीवास्तव	क्वालीटि मॉनिटर संविदा		9425012630			कस्तुरबा नगर भोपाल
39	श्री आर० बी० सविता	स्टोर कीपर					सदर मंजिल के सामने भोपाल
40	श्री निखिल सक्सेना	लेखापाल		9893255906			२५१ सेक्टर २ शक्ति नगर भोपाल
41	कु० पिंकी शक्वार	लेखापाल		9993705816			सी—८६० शाहपुरा भोपाल

42	श्री मुकेश खरे	कम्प्यूटर ऑप0 संविदा		9752850955			
43	श्रीमति रितु कौशल	कम्प्यूटर ऑप0 संविदा		9752402278			47 शिव नगर बैरसिया रोड करांद भोपाल
44	कु0 राधिका ठाकुर	कम्प्यूटर ऑप0 संविदा		9826039968			जी—11 / 10 साउथ टी. टी. नगर भोपाल
45	श्री आरिफ खान	वाहन चालक		9907420257			सुदामानगर अप्सरा टाकीज के पास भोपाल
46	श्री मानसिंह खटीक	वाहन चालक		9981354128			भोईपुरा बुधवारा भोपाल
47	श्री अनिल दुनानी	भृत्य		8109164401			न्यू—बी—22 क्या0 न0 236 बैरागढ़ भोपाल
48	श्री सुरेश सक्सेना	भृत्य					एन—2 1264 गोविंदपुरा भोपाल
49	श्री एस0 के0 अग्रवाल	भृत्य					न्यू सुभाष नगर भोपाल
50	श्री विश्वनाथ वर्मा	भृत्य					शिव नगर कालोनी न्यू मार्केट भोपाल
51	श्री कुमेर सिंह	भृत्य					संजय नगर बैरागढ़
52	श्री कुवर सिंह	भृत्य					6 न 0 बस स्टाप के पास शिवाजी नगर भोपाल
53	हबीब उद्दीन	भृत्य					न्यू कबाडखाना भोपाल
54	श्री चन्द्र बहादुर थापा	भृत्य		9691285253			ई—एन—1 / 17 चार ईमली भोपाल
55	श्री राजकुमार बारेबार	भृत्य		9301579445			ई—एन—1 / 17 चार ईमली भोपाल
56	श्रीमती चन्दा शर्मा	भृत्य					पारस नगर बैरसिया भोपाल

57	श्रीमति शकुन्तला सकरेना	भूत्य					आई-60 रामनगर कालोनी भोपाल
58	श्री हाकिमसिंह	भूत्य					विजय नगर के पास लालघाटी

नोट :- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ एवं संबंद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी भी सम्मिलित है।

## अध्याय – 11 (मैन्युअल – 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन / पारिश्रमिक ओर उसके निर्धारण की पद्धति

## 11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे।

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	परितोषिक / परितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	श्री एस.के.उपाध्याय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	Rs. 69558.00	.	.
2	श्री एल० के० पाटीदार	लेखाधिकारी	Rs. 36070.00	.	.
3	श्री के० सी० सक्सेना	परियोजना अधिकारी	Rs. 28514.00	.	.
4	सुश्री कल्पना पांडे	परियोजना अधिकारी	Rs. 18000.00	.	.
5	श्री आर० एम० मिश्रा	सहा.परियोजना अधिकारी	Rs. 28891.00	.	.
6	श्री दीपक कुमार बराड़पांडे	सहा.परियोजना अधिकारी	Rs. 21857.00	.	.
7	सुश्री गाथा त्रिवेदी,	सहा परि.अधि.संविदा	Rs. 11700.00	.	.
8	श्री आर.के.तिवारी	सहा.परियोजना अधिकारी	Rs. 23113.00	.	.
9	श्री राघेश्याम साकल्ले	परियोजना अर्थशास्त्री	Rs. 19355.00	.	.
10	श्री अशोक कुमार गोयल	डब्ल्यू डी टी	Rs. 23683.00	.	.
11	श्री अशोष सक्सेना	स्टेनो	Rs. 25028.00	.	.
12	श्रीमती नाजिश फातिमा	तकनीकी सहायक	Rs. 14949.00	.	.
13	श्री मो० अशरफ	तकनीकी सहायक	Rs. 13830.00	.	.
14	श्री सुरेश गुप्ता	तकनीकी सहायक	Rs. 23113.00	.	.
15	श्री बी.के.तिवारी	तकनीकी सहायक	Rs. 16517.00	.	.
16	श्रीमती प्रीति राय	तकनीकी सहायक	Rs. 9900.00	.	.
17	श्री सैय्यद माजिद हुसैन	वरिष्ठ निरीक्षक	Rs. 20075.00	.	.
18	श्री एस०सी०गुप्ता	सहायक यंत्री	Rs. 22272.00	.	.
19	श्री उमेश मेहरा	सहा.ग्रामो.अधि.	Rs. 20814.00	.	.
20	श्री भवानी शंकर वर्मा	उपयंत्री	Rs. 17044.00	.	.
21	श्रीमती शाली सेमुवेल	सहा.ग्रेड-2	Rs. 19445.00	.	.
22	श्री डी० टी० चन्दानी	सहा.ग्रेड-2	Rs. 12951.00	.	.
23	श्री मानसिंह कुशवाह	सहा.ग्रेड-2	Rs. 15862.00	.	.
24	श्री व्ही एस० दुबे	मैनेजर डीएसएमए.	Rs. 18272.00	.	.
25	श्री सी० एल० डेहरिया	सहा.ग्रेड-3	Rs. 14009.00	.	.
26	श्री जे० एस० राय	सहा.ग्रेड-3	Rs. 14434.00	.	.
27	श्री अमरनाथ तिवारी	सहा.ग्रेड-3	Rs. 14796.00	.	.
28	श्रीमती सुमन माथुर	सहा.ग्रेड-3	Rs. 14027.00	.	.
29	श्री मनोज कुमार कुम्भारे	कम्प्यूटर आपरेटर	Rs. 6500.00	.	.
30	श्री आरिफ खॉ	ड्राइवर	Rs. 12095.00	.	.
31	श्रीमती शीबा बेग	टास्क मैनेजर	Rs. 9000.00	.	.
32	श्रीमती रश्मि वर्मा	टास्क मैनेजर	Rs. 9000.00	.	.

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मसिक पारिश्रमिक	परितोषिक / परितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
33	श्रीमती रुकमणी मिश्रा	क्वालिटी मॉनीटर	Rs. 7000.00	.	.
34	श्रीमती विशाखा श्रीवास्तव	क्वालिटी मॉनीटर	Rs. 7000.00	.	.
35	श्री के०के०सक्सेना	सहायक यंत्री	Rs. 35976.00	.	.
36	सुश्री प्रेमलता मालवीय	लेखाधिकारी	Rs. 17640.00	.	.
37	श्री अमित कुमार सक्सेना	डी०आर०ई०जी०ओ०	Rs. 14333.00	.	.
38	श्री हीरालाल महोबिया	वरिष्ठ डाटा मैनेजर	Rs. 9923.00	.	.
39	श्री निखिल सक्सेना	लेखापाल	Rs. 8820.00	.	.
40	श्रीमती रितु कौशल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	Rs. 8820.00	.	.
41	कु० राधिका ठाकुर	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	Rs. 8820.00	.	.
42	श्रीमती शकुन्तला सक्सेना	भृत्य	Rs. 10947.00	.	.
43	श्री विश्वनाथ वर्मा	भृत्य	Rs. 12398.00	.	.
44	श्री कुंवर सिंह	भृत्य	Rs. 11035.00	.	.
45	श्री राजकुमार सेन	भृत्य	Rs. 12018.00	.	.
46	श्री राजकुमार बारेबार	भृत्य	Rs. 9856.00	.	.
47	श्री हबीब उद्दीन	भृत्य	Rs. 10835.00	.	.
48	श्रीमती चन्दा शर्मा	भृत्य	Rs. 9703.00	.	.
49	श्री चन्द्रबहादुर थापा	भृत्य	Rs. 9703.00	.	.
50	श्री कुमेर सिंह	भृत्य	Rs. 10835.00	.	.

अध्याय – 12 (मैन्युअल – 11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए –

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दे।

### 1. इंदिरा आवास योजना

क्र. स.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1.	इंदिरा आवास योजना	नवीन आवास	जुलाई 2010	मार्च 2010	45000 /—	34.616	दो किश्तों में	33.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा एवं बैरसिया

## 2. राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन

वर्ष 2010–11

क्रं.	योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम प्रथम बैच	2003–04	मार्च 2010	300.00 लाख	300.00 लाख	299.41 लाख	294.31 लाख	कलेक्टर एवं मिशन लीडर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल
2	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम द्वितीय बैच	2004–05	मार्च 2011	240.00 लाख	240.00 लाख	240.84 लाख	234.70 लाख	
3	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम तृतीय बैच	2006–07	मार्च 2011	300.00 लाख	300.00 लाख	270.93 लाख	250.57 लाख	

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए

## 3. लेखाशाखा

वर्ष 2010–11

(राशि लाखों में)

क्र. स.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किश्तों में	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना।	92.15	92.15	02 किश्तों में	28.04
2	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	-	-	-	222.67
3	इंदिरा आवास योजना	152.88	152.88	02 किश्तों में	37.10
4	एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस—एम०पी०	1937.22	1937.22		307.24
5	एस०जी०एस०वाय०	225.50	225.50	02	6.79

## अध्याय – 13 (मैन्युअल – 12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराये।

❖ कार्यक्रम/योजना का नाम :— इंदिरा आवास योजना

❖ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय—सीमा

वित्तीय वर्ष 2010–11 (अप्रैल 10 से मार्च 11)

❖ कार्यक्रम का उद्देश्य

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे आवासहीन व जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं होते हैं। उन्हें आवास निर्माण हेतु शत् प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई है।
- 2 यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार 75 प्रतिशत व राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है।
- 3 जिलेवार राशि का निर्धारित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है।
- 4 उपलब्ध संसाधनों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 40 प्रतिशत सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लोगों के आवास पर उपयोग करने का प्रावधान है।
- 5 90 प्रतिशत नवीन आवास निर्माण हेतु प्रति हितग्राही 45,000/- प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

❖ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में निम्नानुसार केन्द्र सरकार से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुए है :—

आवास श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
नवीन आवास	340	114.61

❖ लाभार्थी की पात्रता

हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हों।

1. उनको किसी अन्य पुनर्वास योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।
2. वे बेधर हैं या उन्हें आश्रय की आवश्यकता है या उनके आवास को बेहतर बनाने की जरूरत हो।
3. अन्य भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के संवानिवृत्त सदस्यों को प्राथमिकता दी जावे यदि इंदिरा आवास योजना की सामान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। तथा किसी अन्य पुनर्वास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

4. भूतपूर्व सैनिकों, अर्द्ध सैनिक बलों तथा उनके आश्रितों को मकानों के आवंटन के संदर्भ प्राथमिकता गैर/अनुसूचित जाति/अनु जनजाति वर्ग के लांभार्थियों को आवंटन के लिए निर्धारित मकानों के 40 प्रतिशत से ही दिया जावेगा।

❖ **पूर्वपेक्षाएं**

कुछ नहीं

❖ **अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**

जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार भौतिक लक्ष्य को आधार मानते हुए ग्राम पंचायतवार हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा बी.पी.एल. सर्वे 2002 के आधार पर तैयार आवासहीन/कच्चे आवासधारी परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची से किया जाकर चयनित हितग्राहियों के खाते बैंक में खुलवाने के उपरांत स्वीकृत राशि का हस्तातंरण सीधे चयनित हितग्राही के खातों में किया जाता है। कुटीर की लागत दो किश्तों में हितग्राही को प्रदाय की जाती है। राशि रूपये 45,000/- (कुटीर निर्माण, स्वच्छ शौचालय, और धुआँ रहित चूल्हा निर्माण हेतु) की आधी राशि प्रथम किश्त के रूप में रु. 22,500/-

❖ **पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड**

चयन की प्राथमिकताएँ निम्न रहती हैं।

1. ग्राम पंचायत द्वारा बी.पी.एल. सर्वे 2002–03 के आधार पर तैयार आवासहीन/कच्चे आवासधारी परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम अंकित होना।
2. विमुक्त बधुआ मजदूर।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जिनकी मुखिया विद्यवाएं तथा अवैवाहिक महिलाएं हैं।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो बाढ़ आगजनी भूंकम्प चकवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक अपवाओं से पीड़ित है।
6. अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य परिवार।
7. युद्ध में मारे गये सुरक्षा सेवाओं के कार्मिक/अर्द्ध सैनिक बलों की विद्यवाएँ/परिवार।
8. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार।
9. शारीरिक रूप से विकलाग।
10. अर्द्ध सैनिक बलों के एक्स सर्विसमेंन/सेवानिवृत्त।

- ❖ दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) नवीन आवास हेतु रूपये 45,000/- अनुदान के रूप में हितग्राही को प्रदान किये जाते हैं, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
- ❖ अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया
  - ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाकर सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को प्रेषित की जाती है तथा जिला पंचायत द्वारा प्राप्त लक्ष्य एवं बटन अनुसार आवासहीन/कच्चे आवासधारी परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची अनुसार हितग्राही का चयन कर चयनित हितग्राहियों के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है।
- ❖ आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करे।
  - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल/जनपद पंचायत फन्दा एंव बैरसिया।
- ❖ आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)
  - कुछ नहीं
- ❖ अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)
  - कुछ नहीं
- ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे।)
  - सादे कागज पर स्पष्ट सुवाच्य लिपि में।
- ❖ संलग्नकों की सूची
  - पात्रता संबंधी प्रमाण
- ❖ संलग्नकों की सूची
  - कोई प्रारूप निर्धारित नहीं।
- ❖ प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहा सम्पर्क करे।
  - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल

- ❖ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)
 

जिला स्तर पर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का विवरण अध्याय-12 (मैन्युअल-11) में उल्लेख अनुसार है उक्त राशि जिलास्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पास उपलब्ध रहती है।
- ❖ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

प्रत्येक हितग्राही का चयन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा बी.पी.एल. सर्वे 2002 के आधार पर तैयार आवासहीन /कच्चे आवासधारी परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची से किया जाता है उक्त प्रतीक्षा सूची संबंधित ग्राम पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय में निम्न प्रारूप में संधारित है।

क्र.	बी.पी.एल.	हितग्राही का नाम/पिता का नाम	जाति का	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्राप्तांक	रिमार्क

### कार्यक्रम/योजना का नाम

### 2 माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- ❖ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा

जिले शासकीय/शासकीय अनुदान शालाओं में शैक्षणिक सत्र के समस्त कार्य दिवसों पर

- ❖ कार्यक्रम का उद्देश्य

शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्यनरत विद्यार्थियों की दर्ज एवं उपस्थित विद्यार्थियों संख्याओं के आधार पर अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आने के लिये उत्साहित एवं अधिप्रेरित हो इस हेतु शासन ने माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना संचालित की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साक्षरता, शिक्षा एवं बच्चों में पौष्टिकता का स्तर उचा करना है।

- ❖ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)

लागू नहीं

## ❖ लाभार्थी की पात्रता

शासकीय एवं शाला से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्यनरत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थीयों को जो नियमित रूप से शालाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थीयों को शालाओं में आने हेतु प्रेरित करना कार्यक्रम का उद्देश्य है।

## ❖ पूर्वपेक्षाएं

शासन द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्गत योजना को अधिक से अधिक सफल एवं स्कूली बच्चों को गर्म ताजा पोषिक रूचिकर भोजन उपलब्ध कराना।

## ❖ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

शासन के नियमानुसार शासकीय प्राथमिक शालाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थीयों को शाला में भोजन पकाने हेतु उपयुक्त स्थान एवं साफ सफाई एवं उत्तम गुणवत्ता का भोजन देने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने वाली शालाओं की शासन से सीधे मध्यान्ह भोजन हेतु विद्यार्थीयों की संख्या के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जाती है।

## ❖ पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पात्रता सभी शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थीयों के लिये है।

## ❖ दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हों)

प्रति विद्यार्थी शासन द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से (सभी शैक्षणक दिवसों पर)

## ❖ अनुदान/सहायता का विवरण की प्रक्रिया

शासन द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय एवं शासन से अनुदान प्रपत्र करने वाली शालाओं को है। राशि सीधे पालक शिक्षक संघ के खाते में जमा कराई जाती है आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करें।

- ❖ आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करे।  
जिला शियो अधियो / मुकाबी अधियो जिला पंथो / कलेक्टर
- ❖ आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत निर्धारित नियमानुसार
- ❖ अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत निर्धारित नियमानुसार
- ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे।)  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अनुसार आवेदन का प्रारूप
- ❖ संलग्नकों की सूची  
अधिनियम 2005 के नियमानुसार
- ❖ संलग्नकों की प्रारूप  
अधिनियम 2005 के नियमानुसार
- ❖ प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहा सम्पर्क करे।  
जिला शियो अधियो / मुकाबी अधियो जिला पंथो / कलेक्टर
- ❖ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)  
अधिनियम 2005 के नियमानुसार

### 3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना संबंधी जानकारी

#### ❖ कार्यक्रम का उद्देश्य

योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को स्व सहायता समूहों में गठित कर उनको प्रशिक्षण, बैंक ऋण तथा बुनियादी सुविधाएं एवं विपणन की व्यवस्था कर गरीबी रेखा से उपर लाना है ताकि प्रदाय अस्थियों लंबे समय तक आय सुनिश्चित हो सके।

## ❖ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :-

वर्ष 2009–10 में शासन द्वारा 204.50 लाख ऋण एवं अनुदान का वितरण का लक्ष्य दिया गया था। जिसके विरुद्ध 121.21 लाख का ऋण एवं अनुदान सहायता विभिन्न बैंकों ने प्रदान किया इसमें 46 समूह एवं 72 व्यक्तिगत स्वरोजगारी लाभान्वित हुये।

## ❖ लाभार्थी की पात्रता

शासन द्वारा समय–समय पर गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करती है। इस पहचान प्रक्रिया में शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित है। उसके अनुसार जो पात्र पाये जाते हैं उन्हीं परिवारों को इस योजना में लाभान्वित किया जाता है।

## ❖ पूर्वापेक्षाएं

पूर्व में आई आर डी पी ट्रायसेम, उन्नत टूल किट्स, गंगा कल्याण योजना जैसी योजनाएं संचालित थीं। उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 01.04.99 से प्रारंभ कर यह आशा शासन द्वारा प्रकट की गई की इससे अधिक परिवार लाभान्वित होकर गरीबी रेखा से उपर उठ सकेंगे।

## ❖ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

समूह की द्वितीय ग्रेडिंग होने के पश्चात बैंक द्वारा समूहों को चयनित गतिविधियों में आर्थिक सहायता परियोजना लागत अनुसार प्रदाय करते हैं। अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु समूह के द्वारा लेखा–जोखा तथा लेन–देन के आधार पर संबंधित बैंक प्रबंधक, जनपद सीईओ तथा संबंधित सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा समूहों की ग्रेडिंग की जाती है पहली ग्रेडिंग पास होने पर 25,000/- रुपये की राशि (15,000/- ऋण तथा 10,000/-अनुदान) दी जाती है। समूहों की पहली ग्रेडिंग समूह गठन के छः माह पश्चात की जाती है।

समूह की दूसरी ग्रेडिंग पहली ग्रेडिंग के पश्चात न्यूनतम छः माह की अवधि के बाद ही की जा सकती है। दूसरी ग्रेडिंग के समय संबंधित शाखा प्रबंधक, जनपद सीईओ, संबंधित एडीईओ समूह के द्वारा संधारित पंजी, आपस में लेन–देन तथा खाते में उपलब्ध बकाया राशि के आधार पर दिया जाता है। चूंकि एक बैंक में प्रतिवर्ष सीमित लक्ष्य होने के कारण सबसे उत्तम प्रथम या द्वितीय समूह को ही ग्रेडिंग की जाती है। दूसरी ग्रेडिंग के पश्चात बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। जिला पंचायत द्वारा अनुदान की राशि सम्मिलित की जाती है।

## ❖ पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड

जो समूह द्वितीय ग्रेडिंग में बैंक द्वारा सफल पाये जाते हैं प्राथमिकता के आधार पर उन समूहों को ऋण के लिये पात्र पाया जाता है।

❖ दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के एक समान दर से अनुदान दी जाती है। जो अधिकतम 7500/- रुपये होते हैं। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों के मामले में यह क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 10,000/- रुपये होगी। स्व सहायता समूहों के लिये योजना लागत के 50 प्रतिशत के बराबर या प्रतिव्यक्ति 10,000/- रुपये की सबसिडी या 1.25 लाख इनसे जो भी कम हो, सिलाई परियोजनाओं के लिये सब्सीडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है। सब्सीडी बैंक इन्टेरेस्ट।

❖ अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया

भारत एवं राज्य शासन से प्राप्त राशि बैंकों की लिंक शाखा में जमा कराई जाती है। बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण के पश्चात लिंक शाखा से पात्रताअनुसार अनुदान स्वयं आहरित करती है।

❖ आवेदन करने के लिये कहां किससे संपर्क करें

जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारी/जिला पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

❖ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)

आवेदन पत्र फार्म जिला/जनपद पंचायत द्वारा निशुल्क प्रदाय किया जाता है।

❖ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)

बैंक नियमानुसार

❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) जिला पंचायत द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित जनपदों में प्रदाय करके तथा इन आवेदन पत्रों को संबंधित क्षेत्र के सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा भरा जाता है।

❖ संलग्नकों की सूची

मुख्यतः खाता खोलते समय समूह बैठकों का प्रस्ताव, अध्यक्ष एवं सचिव का फोटो संबंधित सहायक विकास विस्तार अधिकारी का प्रमाणीकरण एवं राशनकार्ड की छायाप्रति तथा बैंक द्वारा चाहे गये अन्य दस्तावेज।

❖ संलग्नकों का प्रारूप

बैंकों, समूह एवं जनपद कार्यालय में उपलब्ध है।

## **❖ प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें**

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर जनपद/जिला पंचायत कार्यालय एवं संबंधित बैंक में संपर्क कर सकते हैं।

### **4. एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (हरियाली गाइडलाइन्स) राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, जिला पंचायत—भोपाल**

**:: परिचय ::**

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन गांव के समेकित विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसके अंतर्गत मिट्टी एवं पानी के उपचार के साथ—साथ स्वावलंबन दलों एवं महिलाओं को आय मूलक गतिविधियों से जोड़कर उनके लिए आजीविका के अवसर सृजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव के सामाजिक विकास को भी योजना का अनिवार्य अंग बनाया गया है। कार्यक्रम का समान्य उद्देश्य पर्यावरण सुधार, जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सूखे की विभिषिका को कम करने के साथ—साथ रोजगार एवं गरीब व्यक्तियों के लिए जीवन यापन के स्थायी अवसर पैदा करना है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम का स्वरूप समन्वित विकास की अवधारणा पर आधारित है।

#### **● एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)**

भोपाल जिले में एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनका कुल चयनित क्षेत्र 14000 हेक्टर है तथा स्वीकृत लागत 840 लाख है। परियोजना क्रमांक—I, II व III का कार्य प्रगति पर है। परियोजना क्रमांक—I में 299.41 लाख की राशि प्राप्त हुई है जिसमें से 294.31 लाख रुपये व्यय कर 4750 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया है तथा परियोजना क्रमांक-II के अंतर्गत कुल 240.84 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 234.70 लाख रुपये व्यय कर 4000 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया है। परियोजना क्रमांक—III में 270.93 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी हैं। 250.57 लाख का व्यय कर 4100 हेक्टर उपचारित किया गया है। परियोजना क्रमांक एक व दो समाप्त होने की प्रक्रिया में हैं।

#### **● राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जलग्रहण परियोजनाएँ (NREGS-WS)**

जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पॉच परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं का कुल चयनित क्षेत्र 28000 हेक्टर एवं स्वीकृत लागत 2240.00 लाख रुपये है। परियोजनाओं में जिले के 90 गाँव लाभान्वित होंगे।

योजनान्तर्गत अभी तक 150.40 लाख रुपये की राशि उपचार कार्यों हेतु जारी की गई है।

- जैव विविधता

- जिला स्तर/जनपद स्तर तथा ग्राम स्तर पर कमेटियों गठित हैं। जिला स्तरीय समिति में वनमण्डलाधिकारी समिति सचिव नियुक्त किया गया है।

- कृषि रिचार्ज :

केवल फंदा विकासखण्ड में विशेष योजना स्वीकृत है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु प्रस्तावित रिचार्ज संरचनाओं की संख्या 321 तथा अन्य कृषकों हेतु प्रस्तावित कार्यों की संख्या 9 है। इस प्रकार कुल रिचार्ज संरचनाओं की संख्या 330 है। इनके निर्माण के लिए रिचार्ज संरचनाओं की प्राक्कलित लागत के अनुक्रम में पात्र सबसिडी की राशि 15.62 लाख स्वीकृत है। सबसिडी की राशि के आवंटन नाबार्ड द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में किया जा रहा है।

- “समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन” माइक्रोप्लॉन

“समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन” हेतु माइक्रो प्लान विकसित कर कार्यान्वयन के लिये प्रत्येक विकासखण्ड में ऐसे राजस्व ग्रामों/ग्राम समूहों का क्लस्टर चयन किया गया है जिनमें पूर्व में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का कार्य नहीं हुआ है। ग्रामों के प्रत्येक समूह में 15–20 ग्राम शामिल किए गए हैं। समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन हेतु प्रत्येक क्लस्टर में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। माइक्रोप्लॉन के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से पी.आई.ए “स्वामी विवेकानंद पर्यावरण एवं सामाजिक उत्थान संस्थान” को नियुक्त किया गया है। तथा डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया जारी है।

### एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)

भोपाल जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत चार परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। योजना का चयनित क्षेत्र 20,000 हेक्टेयर व स्वीकृत लागत 2400.00 लाख है। योजना का क्रियान्वयन कॉमन वाटरशेड गार्डलाइंस 2008 विकास योजनान्तर्गत किया जाना है। प्रथम किशत के रूप में जिले को 144.00 लाख (कुल लागत का 6 प्रतिशत) की राशि प्राप्त हो चुकी है। पी.आई.ए दल के गठन की कार्यवाही चल रही है। योजनान्तर्गत कार्य संभवतः अगस्त में प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। योजना में जिले के 46 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना में निम्न ग्राम शामिल किये गये हैं।

Name of State	Name & type # (Hilly/Desert/Others) of the project	Name of the District	Names of the Blocks	Names & Census Code of villages covered
1	2	3	4	6
				Villages
M.P.	Raipur / others	Bhopal	Phanda	1 Raipur
				2 Rojibeg
				3 Kardai
				4 Manikhedikot
				5 Intkhedi Sadak
				6 Hajjampura
				7 Golkhedhi

			8	Beenapur
			9	Khamkheda
			10	KanchBawdi
			11	Raslakhedi
			12	KalaPeepal
			13	Kanera
			14	Agariya
			15	KheenchiTaal
			16	Momanpur
Tarawli kala / Others	Berasia		17	Tarawlikala
			18	Goriya Sankheda
			19	Ganga Pipaliya
			20	Undrai
			21	Nalkheda
			22	Rehtai
			23	Bhensoda
			24	Sonkatch

			25	Kalara
			26	Bhungiyai
			27	Unida
			28	Kutkipura
			29	Namdarpara
Kalara	Berasia		30	Khedi
			31	Dillod
			32	Ijgiri
			33	Pipalkheda
			34	Chak Pipalkheda
			35	Hinotiya Sadak
			36	Pardi
			37	Tanda
			38	Harrakheda
			39	Kolukhedi sadak
IWMP-IV Hinoti sadak	Berasia		40	Mani Khedi
			41	Semrikalan
			42	Charpahdi Bazyuft
			43	KesoKhedi
			44	Khadampur
			45	Hindola
			46	Berkhedi kalan

## राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन

वर्ष 2010–11

क्रं.	योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम प्रथम बैच	2003–04	मार्च 2010	300.00 लाख	300.00 लाख	299.41 लाख	294.31 लाख	कलेक्टर एवं मिशन लीडर
2	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम द्वितीय बैच	2004–05	मार्च 2011	240.00 लाख	240.00 लाख	240.84 लाख	234.70 लाख	तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
3	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम तृतीय बैच	2006–07	मार्च 2011	300.00 लाख	300.00 लाख	270.93 लाख	250.57 लाख	जिला पंचायत भोपाल

### 5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. :—

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, माह सितम्बर 2005 में पारित किया गया है। यह संपूर्ण भारत में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। प्रारंभ में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों को दो फरवरी 2006 से विभिन्न राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया है। इन चयनित 200 जिलों में मध्यप्रदेश के 18 जिलों सम्मिलित हैं। एक अप्रैल 2007 से अन्य 13 जिलों को अधिसूचित किया गया। 01 अप्रैल 2008 से शेष 17 जिलों यथा – नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन, शाजापुर, मण्डसौर, विदिशा, मुरैना, भिण्ड, नीमच, सागर, रतलाम, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर एवं भोपाल में योजना लागू की गई है। प्रदेश के समस्त जिलों में यह योजना लागू है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

### योजना की विशेषताएँ :—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

- योजना उन ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों को, जो रोजगार की मांग करते हैं एवं अकुशल मानव श्रम करने के लिए तत्पर हैं, ऐसे परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिवस की रोजगार की गारंटी प्रदान करती है।
- प्रत्येक व्यक्ति, जो योजना के अंतर्गत दिया गया कार्य करता है, प्रत्येक दिवस के लिए निर्धारित दर से मजदूरी पाने का पात्र होगा।

- कार्यस्थल पर मेट के पास प्राथमिक चिकित्सा पेटी मजदूरों को पीने के लिये पानी की सुविधा, छाया की व्यवस्था एवं शिशुघर की व्यवस्था की जाती है। शिशुघर 6 वर्ष की आयु तक के 5 से अधिक बच्चों पर बनता है।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जावेगा। किसी भी स्थिति में जिस दिनांक को कार्य किया गया था उससे एक पखवाड़े की अवधि में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- श्रमिक जिसने कार्य के लिये आवेदन किया है और यदि उसे कार्य हेतु आवेदन के दिनांक से 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जावेगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम तीस दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर की एक चौथाई से कम नहीं होगी तथा शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी दर से आधी से कम नहीं होगी। बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदाय की गई कुल राशि का योग सौ दिवस की न्यूनतम मजदूरी के योग से अधिक नहीं होगा।
- जब कोई समस्या/शिकायत हो, तो श्रमिक ग्राम पंचायत में सरपंच/पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं। यदि समाधान नहीं होता है तब मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत को शिकायत कर सकते हैं। सात दिवस में निराकरण न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अथवा कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।
- योजना के प्रमुख प्रावधान एवं प्रगति की जानकारी [www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in) तथा [www.nregs-mp.org](http://www.nregs-mp.org) पर उपलब्ध है।

## योजना का उद्देश्य :—

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, उन्हे एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को अधिकतम् 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिस्थितियों का सृजन करना है।

## योजना अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्य :—

- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए गए हैं—
  - (i) जल संवर्धन एवं संरक्षण ।
  - (ii) सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधा रोपण सहित)
  - (iii) सिंचाई, नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)
  - (iv) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
  - (v) परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)
  - (vi) भूमि विकास के कार्य ।
  - (vii) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य ।
  - (viii) बारहमासी ग्रामीण पहुंचमार्ग का निर्माण ।
  - (ix) केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कार्य ।

## **प्रमुख उपयोजनाएँ :-**

- **कपिलधारा उपयोजना:-** इस योजना अंतर्गत कृषकों के लिये कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु कपिलधारा उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया गया है।
- **नंदन फलोधान उपयोजना:-** नंदन फलोधान उपयोजना के अंतर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उधानिकी प्रजाति के फलोधान विकसित करने हेतु क्रियान्वयन किया जाता है।
  1. नंदन फलोधान हेतु पात्र हितग्राही
  2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
  3. गरीबी रेखा के नीचे के परिवार
  4. भूमि सुधार के हितग्राही
  5. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही
- **भूमि शिल्प उपयोजना:-** भूमि शिल्प उपयोजना अंतर्गत भूमि विकास मद के अंतर्गत प्रक्षेत्रिय मेड बंधान के निर्माण हेतु भूमि शिल्प उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।
- **शैल पर्ण उपयोजना:-** शैल पर्ण उपयोजना के अंतर्गत वनस्पति विहीन पहाड़ियों/टीलों पर कंटूर ट्रैंच एवं गली प्लग/बोल्डर चेक के निर्माण तथा जलाऊ लकड़ी हेतु वृक्षारोपण एवं चारा उत्पादन के लिये शैलपर्ण उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।
- **वन्या उपयोजना:-** वन्य उपयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधि के अंतर्गत टसर खाघ पौधों के रोपण व कोसा रेशम उत्पादन हेतु वन्या उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।
- **रेशम उपयोजना:-** रेशम उपयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधि तथा उधानिकी विकास गतिविधि के अंतर्गत शहतूत प्रजाति के रोपण व रेशम उत्पादन हेतु रेशम उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।

## रोजगार हेतु आवेदन का प्रारूप

एनआरईजीएस—एमपी / ओपी / एफ—5  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश  
रोजगार हेतु आवेदन  
{पैरा 3.5.1 में निर्दिष्ट}

प्रति,

सरपंच  
ग्राम पंचायत,

विषय :— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश के अंतर्गत रोजगार के लिये आवेदन।

रोजगार— पत्र (जॉब कार्ड) पंजीयन क्रमांक  
दिनांक  
ग्राम का नाम

महोदय,

मैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई अवधि के दौरान अकुशल मानव श्रम करने का इच्छुक हूँ।

अवधि : दिनांक ..... से ..... तक  
मेरी प्राथमिकता निम्नलिखित कार्यों के लिये है :—

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

---

एनआरईजीएस—एमपी / ओपी / एफ—6

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश  
रोजगार हेतु प्राप्त आवेदन की पावती  
{पैरा 3.5.2 में निर्दिष्ट}

श्री / श्रीमती .....

निवासी .....

..... का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश के अंतर्गत रोजगार के लिये आवेदन दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

आवेदक का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्राम ..... में पंजीकृत है।

उसका रोजगार-पत्र (जॉब कार्ड) पंजीयन क्रमांक ..... है जो  
दिनांक ..... को जारी किया गया था।

**प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
पद एवं मुद्रा**

### संपर्क सूत्र

क्र	प्रभारी अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय	दूरभाष क्रमांक
1	श्री निकुंज श्रीवास्तव	कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक	कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल	0755-2540494
2	श्री एस के उपाध्याय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	जिला पंचायत भोपाल	0755-2540964
3	श्री संजीत श्रीवास्तव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी	जनपद पंचायत फंदा	0755- 2545213
4	श्री विजय श्रीवास्तव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी	जनपद पंचायत बैरसिया	07565- 282230
5	श्री अशोक गोयल	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत भोपाल	0755-2540964
6	श्री अमित कुमार सक्सेना	जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी	जिला पंचायत भोपाल	0755-2540964

### 6 ग्रामोद्योग विभाग के घटकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाये

म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल			
क्र	योजना का नाम	योजना के बारे में जन उपयोगी जानकारी, दिशा निर्देश	आवेदन प्रपत्र, सम्पर्क सूत्र प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम
1	2	3	4
1	परिवार मूलक इकाई स्थापना योजना	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र में हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृति उपरांत इकाई लागत राशि का 50 प्रतिशत सीमा तक अधिकतम राशि रूपये 25000/- अनुदान	श्री ए.ए.ल.जैन उपसंचालक
2	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	विनिर्माण क्षेत्र में रूपये 10.00 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रूपये 5.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिये सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत एवं महिला, अनुसूचित जाति,	

		अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राही को 35 प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत निषिद्ध कार्यों को अनुमति नहीं दी जावेगी।	
3	कारीगर प्रशिक्षण योजना	स्थानीय व्यवस्था कर एक माह से छः माह तक का प्रशिक्षण	

प्रतिवेदित अवधि	कुल जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय
01 अप्रैल 2010 से जुलाई 2010	82680	2357	1.49	145.04	150.31	11.89	307.24

### जिला हाथकरघा कार्यालय भोपाल

क्र.	योजना का नाम	योजना के बारे में जन उपयोगी जानकारी, दिशा निर्देश	आवेदन प्रपत्र, सम्पर्क सूत्र प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम
1	2	3	4
1	हाथकरघा विकास योजना	योजनांतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, रंगाई प्रशिक्षण, डिजाईन डेव्लपमेंट, उन्नत करघे, उपकरण, सहायक उपकरण, रंगाई उपकरण, प्री-लूम, पोस्ट-लूम, विपणन प्रोत्साहन, जागृति शिविर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित कार्य, कार्यशील पूंजी के लिये सहायता	श्री हरीशचंद्र मिश्रा, सहायक संचालक
2	कुटीर उद्योग विकास योजना	प्लांट एवं मशीनरी, कार्यशील पूंजी, विपणन के लिये सहायता	
3	ग्रामोद्योग विकास सहायता	कार्यशील पूंजी, मशीन एवं भवन के लिये हितग्राही अंश / मार्जिन, विपणन प्रोत्साहन, बाजार अध्ययन, निर्यात मूलक गतिविधि, अन्य मद जो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विकास की दृष्टि से राज्य स्तर स्टेयरिंग कमेटी आवश्यक समझे।	

4	महात्मा गांधी बुनकर बीमा	सामान्य मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु/क्षति एवं छात्रवृत्ति लाभ	
5	स्वास्थ्य बीमा योजना	हाथकरघा बुनकर, उसकी पत्नी एवं दो बच्चों को वार्षिक सीमा प्रति परिवार रूपये 15000/- तक चिकित्सा सुविधा	

### म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम सामान्य सुविधा केन्द्र भोपाल

क्र .	योजना का नाम	योजना के बारे में जन उपयोगी जानकारी, दिशा निर्देश	आवेदन प्रपत्र, सम्पर्क सूत्र प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम
1	2	3	4
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के शिल्पियों को छः माह का प्रशिक्षण	श्रीमती यशवंती श्रवण प्रबंधक
2	औजार उपकरण अनुदान	सामान्य वर्ग के शिल्पियों को 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिल्पियों को 50 प्रतिशत औजार उपकरण अनुदान	
3	राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना	हस्तकला कारीगरों को दुर्घटना से मृत्यु/पूर्ण तथा अपूरणीय क्षति भौतिक विच्छेदन द्वारा कोई एक अंग/पूर्ण तथा अपूरणीय क्षति भौतिक विच्छेदन के बिना एक अंग होने पर बीमाधारक को राशि रूपये 1.00 लाख एवं आरोग्य बीमा वार्षिक भुगतान राशि रूपये 15000/- तक	

### रेशम विभाग

क्र .	योजना का नाम	योजना के बारे में जन उपयोगी जानकारी, दिशा निर्देश	आवेदन प्रपत्र, सम्पर्क सूत्र प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम
1	2	3	4
1	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार	कृमि पालन गृह निर्माण/बायवोल्टाइन उपकरण, सिचाई सुविधा एवं निशुल्क शहतूत पौधा रोपण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव नोडल अधिकारी

## 7. समग्र स्वच्छता अभियान

व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बहुत हद तक पर्याप्त पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता साधनों पर निर्भर करती है। इसलिये कहा जा सकता है कि पानी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। विकासशील देशों में बीमारियों का मुख्य कारण असुरक्षित पेयजल, मानव मल का अनुचित निष्पादन, अव्यवस्थित पर्यावरणीय सुरक्षा एवं व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता की कमी है। शिशु मृत्यु दर को समुचित स्वच्छता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसी परिपेक्ष्य में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सन् 1986 में अपने प्राथमिक उद्देश्य “ग्रामीणजनों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार और महिलाओं को आत्म सम्मान प्रदान करना” के साथ शुरू किया गया।

समय के साथ ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में सुधार करते हुये इसे मांग आधारित बनाया गया। जिसे “समग्र स्वच्छता अभियान” के नाम से जाना जाता है इस कार्यक्रम में मुख्यतः सूचना, शिक्षा और संचार (आईडीसीओ), मानव संसाधन विकास, ग्रामीणजनों के बीच जागरूकता का प्रसार करने हेतु क्षमता संवर्द्धन गतिविधियां और स्वच्छता सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम समुदाय संचालित एवं समुदाय केन्द्रीत पद्धति पर कियान्वित किया जा रहा है।

### **समग्र स्वच्छता अभियान के उद्देश्य**

समग्र स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य है –

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली में गुणात्मक सुधार लाना।
- 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का व्यापीकरण करते हुये 2012 तक सभी को शौचालय सुविधा का लाभ देना।
- 3 जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण समुदाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करते हुये स्थाई स्वच्छता सुविधायें स्थापित करना।
- 4 ग्रामीण क्षेत्र की समस्त शालाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता सुविधा स्थापित करते हुये स्वच्छता, शिक्षा एवं आदतों को विद्यार्थियों में रोपित करना।
- 5 पर्यावरणीय सुरक्षा एवं स्थाई स्वच्छता हेतु कम लागत के एवं उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना।
- 6 समुदाय द्वारा प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता सिस्टम बनाना, जिसमें कूड़े कचरे एवं गंदे पानी के निपटान को केन्द्रीत रखा जाये।

**समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्य**

कार्यक्रम के घटक एवं कियान्वयन गतिविधियां हैं –

- 1 **स्टार्ट अप गतिविधियां** – स्टार्ट आप गतिविधियों में जिलों के लिये समग्र स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के प्रस्ताव को तैयार करने हेतु शुरूआती सर्वे के दौरान वर्तमान में स्वच्छता एवं स्वच्छ आदतों, स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग आदि की स्थिति ली जाती है।

- 2 **आई0ई0सी0 गतिविधियां** – सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के घरों, शालाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों और समुदायिक परिसरों की मांग को उत्पन्न किया जा सकता है। आई0ई0सी0 केवल मांग उत्पन्न करने के लिए नहीं अपितु स्वच्छता सुविधाओं के देखरेख और उन्नत करने में भी काम आती है। इसके अंतर्गत प्रेरकों को भी व्यवहार परिवर्तन मांग उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
- 3 **ग्रामीण स्वच्छता मार्ट एवं उत्पादन केन्द्र** – ग्रामीण स्वच्छता मार्ट को स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण संबंधी सामग्री, डिजाइन आदि के विक्रय केन्द्र एवं सर्विस केन्द्र के तौर पर संचालित किया जाता है।
- 4 **व्यक्तिगत शौचालय निर्माण** – कम लागत के शौचालयों का उपरी ढांचे के साथ निर्माण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शौचालय निर्माण पर प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2500/- दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें केन्द्रांश 1500/- राज्यांश 700/- हितग्राहियों का अंश दान 300/- है। बीपीएल परिवारों द्वारा अपने खर्च पर शौचालय में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है।

गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रेरित करते हुये शौचालय निर्माण कराया जाना है। जो एपीएल परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें शौचालय निर्माण हेतु लोन की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

- 5 **समुदाय स्वच्छता परिसर** – समुदाय स्वच्छता परिसर में समग्र स्वच्छता अभियान का महत्वपूर्ण घटक है इन परिसरों में पर्याप्त मात्रा के शौचालय, स्नान गृह, कपड़े एवं बर्तन धोने का स्थान आदि का प्रावधान है। यह परिसर ग्राम में ग्रामीणों के सुविधाजनक स्थानों पर बनाया जाता है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। इस हेतु 2.00 लाख का प्रावधान है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा 30 प्रतिशत राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत समुदाय द्वारा अंशदान दिया जाता है।

## 6 संस्थागत शौचालय –

**अ—शाला शौचालय** – सभी शासकीय शालाओं में, प्राथमिक, उच्चप्राथमिक, हाईस्कूल और हाईस्कॉल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण किया जाना है। सह शिक्षा पद्धति की शालाओं में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक—पृथक शौचालय इकाई का निर्माण किये जाने का प्रावधान है। प्रति शाला शौचालय इकाई की लागत रु. 35000 है, जिसमें 70 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा दी जाती है। शाला में शौचालयों एवं मुत्रालायों का निर्माण शाला में दर्ज छात्रों के संख्या के आधार पर किये जाने का प्रावधान है जिस अनुसार 40 छात्रों पर एक मुत्रालय एवं 120 छात्रों पर एक शौचालय इकाई निर्माण की जानी है।

**ब—आंगनबाड़ी शौचालय** – सभी शासकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का प्रावधान है। प्रति आंगनबाड़ी शौचालय इकाई की लागत रु. 8000 है, जिसमें 70 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा दी जाती है।

- 7 कूड़े कचरे एवं गंदे पानी का प्रबंधन – ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े कचरे एवं गंदे पानी के प्रबंधन किया जाना आवश्यक है जिससे ग्रामीण जन जीवन एवं पर्यावरणीय स्वच्छता में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। इस हेतु प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10 प्रतिशत राशि को इस प्रबंधन हेतु खर्च किये जाने का प्रावधान है, जिसमें 60:20:20 के अनुपात केन्द्र, राज्य एवं पंचायत/समुदाय के द्वारा व्यय किया जाने का प्रावधान है।

अध्याय – 14 (मैन्युअल – 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में  
विवरण

अध्याय – 14 (मैन्युअल – 13) में उल्लेखित रियायातों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों से संबंधित कोई कार्यक्रम/योजना लोक प्राधिकरण में संचालित नहीं है, अतः उसके प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण संबंधी जानकारी निरंक है।

## अध्याय – 15 (मैन्युअल – 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

- 15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करावे।

भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के संपादन हेतु समय—समय पर जारी दिशा निर्देश/मानक एवं आदेश जिनका कार्यक्रमवार विस्तृत विवरण संबंधित कक्ष प्रभारियों के पास उपलब्ध है।

अध्याय – 16 (मैन्युअल – 15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करे जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो।

लोक प्राधिकरण में संचालित ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम /योजनाओं से संबंधित जानकारी जिला पंचायत की वेब साईट [www.zpbhopal.nic.in](http://www.zpbhopal.nic.in) इलेक्ट्रानिक फार्म ) पर उपलब्ध है।

## अध्याय – 17 (मैन्युअल – 16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का  
विवरण

## 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग /संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

- ❖ सूचना पटल
- ❖ अभिलेखों का निरीक्षण
- ❖ दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- ❖ उपलब्ध विभागीय मैनुअल
- ❖ लोक प्राधिकरण की वेबसाइट
- ❖ अन्य प्रचार-प्रसार के साधन

अध्याय – 18 (मैन्युअल – 17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

## 18.1 लोक प्राधिकरण के संबंध में जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	लोक प्राधिकरण में वर्तमान में कौन—कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।	लोक प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म0प्र0, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं समग्र स्वच्छता अभियान इत्यादि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
2	योजनान्तर्गत लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

## 18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- ❖ आवेदन पत्र :— शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर
- ❖ शुल्क :— शासन द्वारा निर्धारित शुल्क
- ❖ सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से माँगी जाये—कुछ टिप्प :—  
माँगी जाने वाली जानकारी का पूर्ण ब्योरा, पेज क्रमांक के उल्लेख सहित तथा कितनी प्रति चाहिये का उल्लेख भी अवश्य करें।
- ❖ सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया :—

सूचना नियत समय पर प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत भोपाल को अपील कर सकते हैं।

## 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में

- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण : कोई नहीं
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय – सीमा : कोई नहीं
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य : कोई नहीं
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) : कोई नहीं
- ❖ लाभार्थी की पात्रता : लागू नहीं
- ❖ पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो तो) : लागू नहीं
- ❖ अनुदान / सहायता (यदि हो तो) : लागू नहीं
- ❖ दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि को विवरण) : लागू नहीं
- ❖ अनुदान की राशि को विवरण की प्रक्रिया : लागू नहीं
- ❖ आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें : लागू नहीं

- ❖ आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं
- ❖ अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं
- ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे।) : लागू नहीं
- ❖ संलग्नकों का सूची : लागू नहीं
- ❖ संलग्नकों का प्रारूप : लागू नहीं
- ❖ आवेदन करने की प्रक्रिया : लागू नहीं
- ❖ चयन प्रक्रिया : लागू नहीं
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो) : लागू नहीं
- ❖ प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका : लागू नहीं
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य : लागू नहीं
- ❖ विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण : लागू नहीं

#### 18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र, अनापत्ति प्रमाण—पत्र आदि के संबंध में जो की मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हों

- ❖ प्रमाण—पत्र, अनापत्ति प्रमाण—पत्र आदि का नाम व विवरण : कोई नहीं
- ❖ प्रमाण—पत्र, अनापत्ति प्रमाण—पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता : लागू नहीं
- ❖ आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करे : लागू नहीं
- ❖ आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं
- ❖ अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं
- ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख) करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे। : लागू नहीं
- ❖ संलग्नकों का सूची : लागू नहीं
- ❖ संलग्नकों का प्रारूप : लागू नहीं

- ❖ आवेदन करने की प्रक्रिया : लागू नहीं
- ❖ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।) : लागू नहीं
- ❖ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण—पत्र अनापति प्रमाण — पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि : लागू नहीं
- ❖ प्रमाण—पत्र के प्रभावी रहने की समय — सीमा (यदि हो तो) : लागू नहीं
- ❖ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो) : लागू नहीं

#### 18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

लोक प्राधिकरण में किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं होता।

- ❖ पंजीयन का उद्देश्य
- ❖ आवेदक की पात्रता
- ❖ पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो तो)
- ❖ आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें
- ❖ आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)
- ❖ अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)
- ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख) करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें।
- ❖ संलग्नकों का सूची
- ❖ संलग्नकों का प्रारूप
- ❖ आवेदन करने की प्रक्रिया
- ❖ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।)
- ❖ प्रभावी रहने की समय — सीमा (यदि हो तो)
- ❖ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)

18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax etc.)द्वारा टैक्स लेने के संबंध में

- ❖ टैक्स का नाम व विवरण : लागू नहीं
- ❖ टैक्स लेने का उद्देश : लागू नहीं
- ❖ टैक्स निर्धारित करने के लिए मापदण्ड व प्रक्रिया : लागू नहीं
- ❖ बड़े यउवतद्व डिफाल्टर्स की सूची : लागू नहीं

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/UPCL/ द्वारा दी जा सकती है।)

- ❖ आवेदक की पात्रता : लागू नहीं
  - ❖ पूर्वापेक्षाए (यदि हो तो) : लागू नहीं
  - ❖ आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करे : लागू नहीं
  - ❖ आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं
  - ❖ अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं
  - ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख) करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे।
  - ❖ संलग्नकों का सूची : लागू नहीं
  - ❖ संलग्नकों का प्रारूप : लागू नहीं
-